

नागारिक सुरक्षा  
योजना  
जिला—चित्तौड़गढ़

## अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	03
<b>भाग - I</b>		
02	नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन	04
<b>भाग - II</b>		
03	चित्तौडगढ़ जिले की रूपरेखा व जिला प्रशासन	07
<b>भाग - III</b>		
04	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	23
05	मुख्यालय (Headquarter Service)	24
06	संचार सेवा (Communication Service)	27
07	वार्डन सेवा (Warden Service)	30
08	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	32
09	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	33
10	हताहत सेवा (Casualty Service)	34
11	बचाव सेवा (Rescue Service)	35
12	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	36
13	पूर्ति सेवा (Supply Service)	36
14	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	37
15	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	38
16	कल्याण सेवा (Welfare Service)	39
<b>भाग - IV</b>		
17	निष्क्रमण (Evacuation)	41
18	रिपेयर एवं डेमोलेशन	43
19	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	44
20	पशुओं की देखभाल	44
21	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	45
<b>भाग - V</b>		
22	रासायनिक युद्ध	47
23	जैविक युद्ध	49
24	आणविक युद्ध	51
<b>भाग - VI</b>		
25	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	61
26	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एवं अन्य संसाधनों की सूची	62
26	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	64
27	जिला स्तरीय अधिकारियों की सूची	81

## जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ-साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन-धन हानि में अपार वृद्धि हुई है। चित्तौड़गढ़ जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे-युद्ध के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्ध, औद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन-धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहायोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। हा, जिले की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 11.64 लाख है।

अतः तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय-समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले का रावतभाटा टाउन नागरिक सुरक्षा कैटेगरी 1 टाउन तथा शेष जिला नागरिक सुरक्षा कैटेगरी III घोषित है।

**दिनांक :**

(डा. मंजू)  
जिला कलक्टर पदेन नियंत्रक  
नागरिक सुरक्षा,

## भाग – I

### 1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान–माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सहायनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

### 1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात् नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य “नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा” करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरुषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

### 1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर "नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन" किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका "बाहरी आक्रमण/हवाई हमला" के साथ-साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को "नागरिक सुरक्षा जिले" घोषित कर दिया गया।

### 1.4 नियन्त्रण :

**(क) निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर** – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।



**(ख) नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर** –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

**(ग) नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय** – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

**(घ) नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा** – वर्तमान में राज्य के स्वीकृत 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा का है, जिसमें चित्तौडगढ़ जिला सम्मिलित नहीं है।

### 1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :-

(क) नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)



### 1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)


भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए "नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009" जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल "बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा" के साथ ही सैकेण्डरी रोल "आपदा प्रबन्धन" भी कर दिया गया।

## भाग - II

# चित्तौड़गढ़ जिले की रूपरेखा

### 2.1 चित्तौड़गढ़ जिले का नक्शा



### 2.2 भौगोलिक स्थिति -

चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी भाग में 240.13 | से 250.13 | उत्तरी अक्षांश और 740.04 | से 750.53 | पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। इसके पूर्वी भाग में कोटा जिला और मध्यप्रदेश का नीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर एवं राजसमन्द जिले तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बून्दी जिले स्थित हैं।

यह जिला समुद्री तल से एक हजार छः सौ फीट औसत ऊँचाई पर स्थित है। इसका अधिकांश भू-भाग दक्षिण तटवर्ती और अरावली उपत्यकाओं से आच्छादित है। जिले का न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां 83.00 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भागों में ज्यादा वर्षा होती है और उत्तर-पश्चिम तक जाते जाते वर्षा कम हो जाती है।

बनास, बेड़च, गंभीरी, चम्बल, कदमाली एवं वागन आदि जिले की प्रमुख नदियां हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का भौगोलिक धरातल पूर्णतया समतल नहीं है। जिले के पूर्ण क्षेत्र में अरावली पर्वतमालाएँ फैली हुई हैं। इस जिले का ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है।

2.3 सामान्य जानकारी :- जिले में उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/नगर निकाय/ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय
1-	Barisadri	Barisadri	Barisadri	1. खरदेवला 2. बोहेड़ा 3. बांसी 4. बडवल 5. कचुमरा 6. महुड़ा 7. किरतपुरा 8. विनायका 9. निकुम्भ 10. भाणुजा 11. भाटोली ब्राह्मणान 12. पण्डेड़ा 13. पिण्ड 14. पुनावली 15. रतीचंद का खेड़ा. 16. सांगरिया 17. जरखाना 18. अमीराना 19. लक्ष्मीपुरा 20. बोरखेड़ा 21. चैनपुरिया 22. खेरमालिया 23. केवलपुरा 24. मूजवा 25. पारसोली 26. पायरी 27. पारलिया 28. नयाखेड़ा	NAGAR PALIKA Barisadri

2-	Begun	Begun	Begun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. माधोपुर</li> <li>2. रामपुरिया</li> <li>3. रावदडा</li> <li>4. मेघनिवास</li> <li>5. आवंलहेडा</li> <li>6. बिछोर</li> <li>7. मेघपुरा</li> <li>8. नंदवाई</li> <li>9. अनोपपुरा</li> <li>10. डोराई</li> <li>11. धामंचा</li> <li>12. गोविन्दपुरा</li> <li>13. चेची</li> <li>14. दुकराई</li> <li>15. खेडा</li> <li>16. सुवाणिया</li> <li>17. रायता</li> <li>18. शादी</li> <li>19. छुगार</li> <li>20. ईआवा</li> <li>21. मोतीपुरा</li> <li>22. राजगढ</li> <li>23. गोपालपुरा प्रथम</li> <li>24. बरनियास</li> <li>25. सामरिया कलां</li> <li>26. खेरपुरा</li> <li>27. पारसोली</li> <li>28. डेकडीखेडा</li> <li>29. गोपालपुरा दितीय</li> <li>30. आमल्दा</li> <li>31. कल्याणपुरा</li> <li>32. श्रीनगर</li> <li>33. चावण्डिया प्रथम</li> <li>34. रायती</li> <li>35. चावण्डिया द्वितीय</li> </ol>	NAGAR PALIKA Begun
3-	Chittorgarh	Chittorgarh	Chittorgarh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उदपुरा</li> <li>2. अभयपुरा</li> <li>3. सावा</li> <li>4. बस्सी</li> <li>5. पाल</li> <li>6. चिकसी</li> <li>7. सादी</li> <li>8. नेतावलगढपाछली</li> <li>9. घटियावली</li> <li>10. ओछड़ी</li> <li>11. देवरी</li> <li>12. जालमपुरा</li> </ol>	NAGAR PARISHAD Chittorgarh

				13. शम्भुपुरा 14. अरनियापंथ 15. सामरी 16. कश्मोर 17. तुम्बडिया 18. धनेतकलां 19. ओडून्द 20. घोसुण्डा 21. बडोदिया 22. रोलाहेड़ा 23. पाण्डोली 24. नगरी 25. सेमलपुरा 26. पालका 27. सोनगर 28. घोसुण्डी 29. आवलहेड़ा 30. अमरपुरा 31. सेमलिया 32. सहनवा 33. विजयपुर 34. केलजर 35. नारेला 36. ऐराल 37. नेतावलमहाराज 38. मानपुरा 39. गिलुण्ड 40. सतपुड़ा 41. लालजी का खेड़ा 42. ठिकरिया 43. सिंदवडी 44. गणेशपुरा 45. पुरोहितों का सांवता 46. डगला का खेड़ा 47. सिरोडी 48. आछोड़ा 49. सोकिया 50. बल्दरखां 51. दौलतपुरा 52. बोजुण्डा 53. बावडीखेड़ा	
--	--	--	--	---	--

4-	Kapasan	Kapasan	Kapasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बालारडा</li> <li>2. भट्टों का बामनिया</li> <li>3. बनाकियाकला</li> <li>4. दामाखेड़ा</li> <li>5. लांगच</li> <li>6. रोलिया</li> <li>7. रूपाखेड़ी</li> <li>8. थसंहपुर</li> <li>9. तुर्कियाखुर्द</li> <li>10. धमाना</li> <li>11. हथियाना</li> <li>12. पाण्डोली स्टेशन</li> <li>13. सुरपुर</li> <li>14. हिंगोरिया</li> <li>15. छापरी</li> <li>16. निम्बाहेड़ा</li> <li>17. दोवनी</li> <li>18. मुंगाना</li> <li>19. चाकुडा</li> <li>20. करजाली</li> <li>21. उचनाखुर्द</li> <li>22. उमण्ड</li> <li>23. करूकडा</li> <li>24. भीमखण्ड</li> <li>25. तरनावो का खेड़ा</li> <li>26. रामथली</li> <li>27. काकरिया</li> <li>28. देवरिया</li> <li>29. हिराजी का खेड़ा</li> </ol>	<p style="text-align: center;">NAGAR palika Kapasan</p>
----	---------	---------	---------	---	---

5-	Nimbahera	Nimbahera	Nimbahera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गादोला</li> <li>2. उखलिया</li> <li>3. बिनोता</li> <li>4. मिंडाना</li> <li>5. भगवानपूरा</li> <li>6. सतखंडा</li> <li>7. गुड्डा खेडा</li> <li>8. बडोली घाटा</li> <li>9. कनेरा</li> <li>10. बडावली</li> <li>11. बरडा</li> <li>12. फलवा</li> <li>13. वेली</li> <li>14. कोटडी कला</li> <li>15. बांगरेडा</li> <li>16. मरजीवी</li> <li>17. डला किशनपुरा</li> <li>18. मंडला चारण</li> <li>19. जावदा</li> <li>20. ढोरयिा</li> <li>21. लसडावन</li> <li>22. जलिया</li> <li>23. मांगरोल</li> <li>24. अरनिया जोशी</li> <li>25. अरनोदा</li> <li>26. भावलिया</li> <li>27. टाई</li> <li>28. बाडी</li> <li>29. नरसिंहगढ</li> <li>30. कारूडा</li> <li>31. बडोली माधोसिंह</li> <li>32. बांगेडा घाटा</li> <li>33. मैलाना</li> <li>34. सरसी</li> <li>35. निम्बोदा</li> <li>36. फाचर अहिरान</li> <li>37. धीनवा</li> <li>38. मंडावली</li> <li>39. भुज्याखेडी</li> <li>40. चरलिया</li> <li>41. कदमाली</li> <li>42. लूणखन्दा</li> <li>43. श्रीपुरा</li> <li>44. बांसा</li> </ol>	<p style="text-align: center;">NAGAR PARISHAD Nimbahera</p>
----	-----------	-----------	-----------	--	---

6-	Dungla	Dungla	Dungla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.आलोद</li> <li>2. अनरेड</li> <li>3.बिलोदा</li> <li>4.भाटोली बागरिया</li> <li>5. भाटोली गुजरान</li> <li>6 चिकारडा</li> <li>7 डूंगला</li> <li>8. फलोदडा</li> <li>9. ईडरा</li> <li>10 किशनकरेरी</li> <li>11. मंगलवाड</li> <li>12. नौगावा</li> <li>13. पालोद</li> <li>14. पीराना</li> <li>15. संगेसरा</li> <li>16. सेमलिया</li> <li>17. बडवाई</li> <li>18. बिलोट</li> <li>19. देवलास</li> <li>20. करसाना</li> <li>21.लोठियाना</li> <li>22. मोरवन</li> <li>23. नाडाखेडा</li> <li>24. नंगावली</li> <li>25.नेगडिया</li> <li>26. रावतपुरा</li> <li>27.सेठवाना</li> <li>28. तितरडा</li> <li>29. भाणपा</li> </ol>	
7-	Gangrar	Gangrar	Gangrar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पुठोली</li> <li>2. गंगरार</li> <li>3. आजोलिया का खेडा</li> <li>4. बोलो का सांवता</li> <li>5. बूढ</li> <li>6. बोरदा</li> <li>7. चौगावडी</li> <li>8. जोजरो का खेडा</li> <li>9. कांटी</li> <li>10. खारखन्दा</li> <li>11. कुंवालिया</li> <li>12. लालास</li> <li>13. मण्डपिया</li> <li>14. रघुनाथपुरा</li> <li>15. सादी</li> <li>16. साडास</li> <li>17. सोनियाना</li> </ol>	-

				18. सुदरी 19. सुवाणिया 20. तुम्बडिया 21. उण्डवा 22. गोवलिया 23. सालेरा 24. सेमलिया 25. भटवाडा खुर्द 26. इन्दोरा 27. आकोडिया 28. सारण 29. करतियास 30. त्रेष्ठा 31. सुरजनियास 32. करेडिया 33. कांसेडी	
8-	Rashmi	Rashmi	Rashmi	1. पहुंना 2. उंचा 3. बावलास 4. मरमी 5. सोमी 6. राशमी 7. जाड़ाना 8. हरनाथपुरा 9. पावली 10. अडाना 11. भीमगढ 12. भालोटा की खेड़ी 13. नेवरिया 14. बारू 15. सिंहाना 16. रेवाड़ा 17. सांखली 18. डिण्डोली 19. आरनी 20. रूद 21. उपरेड़ा 22. लसाडिया कलां 23. सोमरवालो का खेड़ा 24. पहुंनी 25. मुरोली	

9-	Bhopalsagar	Bhopalsagar	Bhopalsagar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. चोरवडी</li> <li>2. अनोपपुरा</li> <li>3. जाशमा</li> <li>4. कांकरवा</li> <li>5. फलासिया</li> <li>6. भूपालसागर</li> <li>7. बबराना</li> <li>8. बूल</li> <li>9. भूपालनगर</li> <li>10. गुन्दली</li> <li>11. कानडखेडा</li> <li>12. ताणा</li> <li>13. उसरोल</li> <li>14. कानाखेडा</li> <li>15. निलोद</li> <li>16. मुरला</li> <li>17. पारी</li> <li>18. पटोलिया</li> <li>19. मालीखेडा</li> <li>20. जोयडा</li> </ol>	NAGAR Palika Akola
10 -	Bhadesar	Bhadesar	Bhadesar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मण्डफिया</li> <li>2. भादसोडा</li> <li>3. बनसेन</li> <li>4. लेसवा</li> <li>5. पीपलवास</li> <li>6. पोटला कलां</li> <li>7. नपावली</li> <li>8. आसावरा</li> <li>9. गरदाना</li> <li>10. करेडिया</li> <li>11. कुंथना</li> <li>12. नपानिया</li> <li>13. रेवलिया खूर्द</li> <li>14. कंथारिया</li> <li>15. आवया</li> <li>16. बागुंड</li> <li>17. नन्नाणा</li> <li>18. खोडीप</li> <li>19. आकोला कलां</li> <li>20. धीरजी का खेडा</li> <li>21. भालुंडी</li> <li>22. सुखवाडा</li> <li>23. नाहरगढ</li> <li>24. भदेसर</li> <li>25. कन्नौज</li> <li>26. लोहाना</li> <li>27. सोनियाणा</li> </ol>	-

				28. नरबदिया 29. बामनखेड़ी 30. तरजेला 31. गांगागुढ़ा 32. पंचदेवला 33. आंतरी	
11	Rawatbhata	Rawatbhata	Bhensorgarh	1. बडोदिया 2. बरखेडा 3. भैसरोडगढ़ 4. धांगणमउकलां 5. जावदा 6. झरझनी 7. लुहारिया 8. मण्डेसरा 9. रेनखेडा 10. श्रीपूरा 11. बलकुण्डीकलां 12. बोराव 13. धावदकंला 14. एकलिंगपुरा 15. गोपालपुरा 16. जालखेडा 17. खातीखेडा 18. तम्बोलिया 19. कुशलगढ 20. राजपुरा 21. बस्सी 22. देवपुरा 23. जवाहरनगर 24. टोलो का लुहारिया 25. गिलोता 26. गोपालपुरा द्वितीय 27. टाकरदा 28. आगरा 29. आंवलहेडा 30. हाडों की मोरवन	NAGAR palika Rawatbhata

### नदियाँ, बाँध, तालाब—

- नदियाँ : चम्बल, बनास, बेडच, जाखम एवं वागन मुख्य नदियाँ एवं गम्भीरी, ब्राह्मणी एवं गुंजाली इनकी सहायक नदियाँ हैं।
- बाँध : गम्भीरी, वागन, बरसी, ओराई, बड़गांव, भोपालसागर, घोसुण्डा, राणाप्रताप सागर आदि।
- झीलें व तालाब : जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है फिर भी मुख्य नदियों की शाखाओं के संग्रहण द्वारा अनेक तालाब बना लिये गये हैं।

### जिले के सम्भावित अधिकतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

जिले में चित्तौड़गढ़, जिला मुख्यालय ही अधिकतर बाढ़ग्रस्त रहता है। शहर के चारों तरफ पहाड़ होने तथा गम्भीरी एवं बेडच नदी दोनों का संगम स्थल चित्तौड़गढ़ शहर के नजदीक होने के कारण वर्षा का पानी दोनों नदियों में तेज गति से आ जाने से संगम स्थल पर पानी के टकराव के कारण चित्तौड़गढ़ शहर को बाढ़ का खतरा बना हुआ रहता है। इस खतरे से बचाव हेतु प्रति वर्ष बाढ़ बचाव योजना बनाई जाती है। शहर के बचाव हेतु आवश्यक इंतजाम किये जाते हैं। शहर के मुख्य-मुख्य बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रभावित क्षेत्र	क्र.सं.	प्रभावित क्षेत्र
1	कैलाशपुरी, निम्बाहेड़ा रोड़	9	राजीव कॉलोनी
2	मधुवन कॉलोनी, निम्बाहेड़ा रोड़	10	नगरपालिका कॉलोनी
3	अशोक वाटिका, निम्बाहेड़ा रोड़	11	जनकपुरी प्रताप सेतु मार्ग
4	किदवई नगर	12	कैलाशपुरी प्रताप सेतु
5	हनुमान नगर	13	गांधीनगर कच्ची बस्ती
6	जवाहर नगर	14	अप्सरा टॉकिज के पास कॉ-आपरेटिव भवन
7	पन्नाधाय कॉलोनी	15	सिंचाई नगर
8	रोड़वेज स्टेण्ड, पुलिस कोतवाली, पशु चिकित्सालय	16	रेल्वे स्टेशन के पीछे की कॉलोनी

जिले में स्थित के बाधों की सूची

S. No.	Name of Dam	Gram Panchayat	Gram	Block / Tehsil	Longitudes	Latitude	Height (M)	length of Dam (M)	
								Earth	Spillway / Byewash
<b>(A) DIVISION - CHITTORGARH &amp; DISTRICT - CHITTORGARH</b>									
1	Arni	Arni	Arni	Rashmi	74°-18'-00"	25°-4'-00"	2.74	1661.00	
2	Arnia	Balrda	Balrda	Kapasan	74°-21'-00"	24°-51'-00"	2.40	1176.00	
3	Banakia	Banakia	Banakia	Chittorgarh	74° 30' 0"	24° 54' 0"	3.96	2190.00	365.00
4	Bassi	Palka	Palka	Bassi	74° 49' 30"	25° 02' 0"	11.00	520.00	227.00
5	Bhanwar Pipla	Dhamancha	Dhamancha	Begun	75°-3'-30"	24°-54'-00"	7.00	540.00	150.00
6	Bhopalsagar	Bhopalsagar	Bhopalsagar	Bhopalsagar	74°-12'-00"	24°-57'-30"	5.49	2387.00	
7	Borda	Bolon ka Sanwta	Bolon ka Sanwta	Gangrar	74°-34'-00"	24°-59'-00"	4.27	1905.00	
8	Dhamana	Dhamana	Dhamana	Kapasan	74°-17'-00"	24°-57'-30"	3.81	1340.00	
9	Dindoli	Dindoli	Dindoli	Rashmi	74°-20'-00"	24°-59'-00"	3.66	1046.00	
10	Dorai	Dorai	Dorai	Begun	74°-58'-30"	24°-56'-30"	8.39	2819.00	180.00
11	Gambhiri	Arnoda	Arnoda	Nimbahera	74° 43' 0"	24° 42' 0"	7.01	3150.00	642.00
12	Kaladeh	Chechi	Chechi	Begun	74°-4'-00"	24°-56'-30"	5.79	643.00	
13	Kankaria	Hingoriya	Hingoriya	Kapasan	74°-24'-00"	24°-54'-00"	3.59	1991.00	
14	Kapasan	Kapasan	Kapasan	Kapasan	74°-19'-00"	24°-53'-45"	3.51	1710.00	
15	Khoki	Devpura	Devpura	Rawatbhata	75°18'21.72"	24°43'34.70"	6.55	200.00	
16	Kunwalia	Kunwalia	Kunwalia	Gangrar	74°-43'-00"	25°-06'-00"	2.00	915.00	
17	Luhariya	Napania	Luhariya	Bhadesar	74° 20' 0"	24° 42' 30"	2.74	2840.00	133.60
18	Mevda	Mungana	Mungana	Kapasan	74°-14'-30"	24°-53'-00"	2.59	2479.00	
19	Modia Mahadev	Amarpura	Bageria	Bassi	74° 58' 30"	24° 50' 45"	4.88	430.00	115.00
20	Murlia Medium	Mangrol	Murlia	Nimbahera	74° 41' 30"	24° 42' 30"	2.90	2440.00	274.00
21	Orai	Gopal pura	Gopal pura	Begun	74°-51'-00"	25°-2'-10"	9.45	1365.00	
22	Patolia	Patolia	Patolia	Bhupalsagar	74°-8'-30"	24°-47'-30"	3.65	1176.00	

23	Rajgarh	Rajgarh	Rajgarh	Begun	75°-1'-00"	24°-56'-20"	3.96	1913.00	
24	Ruparel	Naal	Naal	Begun	74°-57'-06"	25°-04'-20"	6.50	1030.00	
25	Sadi	Sadi	Sadi	Bassi	74° 45' 0"	24° 54' 0"	4.12	1770.00	100+36.5
26	Salera	Ajoliya ka Khera	Ajoliya ka Khera	Gangrar	74°-37'-00"	24°-59'-00"	6.10	1355.00	
27	Sankal Khera	Udpura	SankalKhera	Chittorgarh	74° 45'	24° 49'	10.70	60.00	115.00
28	Sanwaria Sarowar	Mandfia	Mandfia	Bhadesar	74° 24' 0"	24° 35' 10"	3.00	2360.00	70.00
29	Saropa	Langach	Langach	Kapasan	74°-26'-00"	24°-58'-00"	3.81	1137.00	
30	Somi	Somi	Somi	Rashmi	74°-21'-02"	25°-5'-30"	2.50	3279.00	
31	Soniyana	Treshta	Treshta	Gangrar	74°-39'-00"	25°-8'-00"	3.51	2213.00	
32	Unchkiya	Lasadia Kalan	Lasadia Kalan	Rashmi	74°-24'-20"	25°-11'-05"	3.96	3277.00	
33	Wagli	Karjali	Karjali	Kapasan	74°-17'-50"	24°-42'-50"	2.50	1710.00	
34	Badi Mansarowar	Badi	Badi	Nimbahera	74° 39' 30"	24° 31' 0"	5.00	300.00	63.25
35	Bhawaliya	Nimboda	Laxmipura	Nimbahera	74° 56' 0"	24° 56' 0"	3.80	230.00	150.00
36	Sarsi Ka Naka	Mailana	Mailana	Nimbahera	74° 55' 15"	24° 39' 20"	4.25	900.00	150.00
37	Uncha	Javda	Uncha	Nimbahera	74° 38' 0"	24° 35' 0"	4.19	1770.00	30.00
	<b>Total (A)</b>								

**(B) DIVISION - CHITTORGARH & DISTRICT - Udaipur**

38	Badgaon	Keekawas	Keekawas	Mavli	74°-5'-05"	24°-42'-00"	7.62	5202.00	
----	---------	----------	----------	-------	------------	-------------	------	---------	--

**(C) DIVISION - CHITTORGARH & DISTRICT - BHILWARA**

39	Devlia	Singoli	Singoli	Mandalgarh	74°-58'-00"	25°-10'-00"	6.55	272.00	
----	--------	---------	---------	------------	-------------	-------------	------	--------	--

**Newly constructed**

40	Ren Ka Naka	Sarsi	Peelkhedi	Nimbahera	74°-52'-15"	24°-41'-8"	561.55	1030	90
41	Sankheda	Udpura	Sakheda	Chittorgarh	74°-44'-46"	24°-44'-46"	9.97	750	105

**(D) HINDUSTAN ZINC LIMITED DISTRICT - CHITTORGARH**

42	Ghosunda	Devri	Hapawas	Chittorgarh	74.52425	24.82676	423RL	388.00	405.15
----	----------	-------	---------	-------------	----------	----------	-------	--------	--------

**(E) DIVISION - PRATAPGARH & DISTRICT - CHITTORGARH**

43	Parsoli	Parsoli	Parsoli	Bari sadri	74° 29' 0"	24° 21' 0"	4.27	160.00	360.00
44	Wagan	Semliya	Talau	Dungla	74° 27' 0"	24° 23' 30"	5.00	3000.00	98.00
45	Pind	Peend	Peend	Bari sadri	74° 30'	24° 30'	3.9	1905	230

					14"	22"			
<b>TRANSFERRED TO PANCHAYATI RAJ. DEPTT. FROM DIVISION - CHITTORGARH &amp; DISTRICT - CHITTORGARH</b>									
1	Adia	Raita	Uthain	Begun	75° 7'22.47"	25° 1'32.13"	2.36	1491.0 0	-
2	Bada Banakia	Bada Banakia	Bada Banakia	Kapasan	74°-28'00	24°-58'-30	1.53	1624.0 0	-
3	Banina	Kharkhanda	Banina	Gangrar	74°-28'-30	25°-01'-0	1.37	1713.0 0	-
4	Barkheri	Abhaypur	Barkhera	Chittorgarh	74.729164	24.871111	3.28	0.84	-
5	Bhagatsagar	Gangrar	Gangrar	Gangrar	74°-37'-0	24°-02'-30	1.82	1813.0 0	-
6	Bharkiya	Amarpura	Bharkiya	Chittorgarh	74.81805	24.84417	1.92	0.178	-
7	Bujra	Kherpura	Mandavari	Begun	74°55'28. 01"	25° 5'28.87"	2.80	1160	-
8	Dahikhera	Songar	Dahikhera	Chittorgarh	74.801402	25.065277	1.65	2.22	-
9	Dama Khera	Dama Khera	Dama Khera	Kapasan	74°-19'00	24°-50'-30	1.72	1115.0 0	-
10	Ganeshpura	Bholota ke kheri	Hada Kheri	Rashmi	74°-31'10	25°-07'-30	1.49	1666.0 0	-
11	Gangariya	Dhirji ka Khera	Dhirji ka Khera	Bhadesar	74.518074	24.701488	2.38	0.24	-
12	Gulabpura	Gulabpura	Gulabpura	Bhupalsagar	74°-16'00	24°-56'-30	2.07	2061.0 0	-
13	Jadana	Jadana	Jadana	Rashmi	75°-25'-0	25°-03'-0	1.16	605.00	-
14	Jashma I	Jashma	Jashma	Bhupalsagar	74°-14'-0	24°-57'-0	1.53	1512.0 0	-
15	Jashma II	Jashma	Jashma	Bhupalsagar	74°-13' 0	24°-56'30	1.60	1991.0 0	-
16	Jogniya Mata	Sadi	Palka	Begun	75° 7'14.83"	25° 3'36.33"	2.65	446.00	-
17	Kacholiya	Nimbahera	Kacholiya	Kapasan	74°-22'30	24°-53'-30	1.52	876.00	-
18	Kadmali	Anoppura	Kadmali	Begun	24°-57'-30"	74°-54'-10"	3.52	270.00	-
19	Kalyanpura	Mugana	Kalyanpura	Kapasan	74°-15'-30	24°-52'-00	1.68	1322.0 0	-
20	Kannoj	Kannoj	Kannoj	Bhadesar	74.475484	25.147155	1.23	1.006	-
21	Karjiya	Sankhli	Karjiya	Rashmi	74°-23'-30	25°-08'-30	1.56	2122.0 0	-
22	Kashmor	Kashmor	Kashmor	Chittorgarh	74.331761	24.54218	1.24	1.13	-
23	Lasadiya	Lasadiya Kalan	Lasadiya Kalan	Rashmi	74°-24'-0	24°-09'-0	1.25	1961.0 0	-
24	Mansarovar	Bhainsroargarh	Madaar Chok	Rawatbhat	75°33'32.1 4"	24°58'44.4 9"	1.51	624.00	-
25	Marmi	Marmi	Marmi	Rashmi	74°-26'-30	25°-05'-30	0.71	1646.0 0	-
26	Mungana	Mungana	Mungana	Kapasan	74°-16'00	24°-52'-30	1.76	1130.0 0	-
27	Muroli	Upreda	Muroli	Rashmi	74°-25'-0	25°-04'-30	1.86	1861.0 0	-
28	Nahargarh	Tamboliya	Nahargarh	Rawatbhat	75°22'30.1 6"	25° 0'2.80"	2.32	937.00	-

29	Nilod	Nilod	Nilod	Bhupalsagar	74°-07' 30	24°-46'00	1.86	1130.0 0	-
30	Odwadia	Sadas	Odwadia	Gangrar	74°-44'-45	25°-09'-10	2.43	1387.0 0	-
31	Palka	Palka	Palka	Chittorgarh	74.475484	24.145155	1.62	0.427	-
32	Pari	Pari	Pari khera	Bhupalsagar	74°-11-30	24°-48'-00	1.56	1332.0 0	-
33	Raipuria	Gundli	Raipuria	Bhupalsagar	70°-15'-11	24°-44'51	1.74	2234.0 0	-
34	Randiyari - Sandiyari	Randiyari	Randiyari	Kapasan	74°-21'30	24°-52'-0	2.07	1065.0 0	-
35	Revlia	Revlia	Revlia	Bhadesar	74°-26'-0	25°-50'-0	1.64	1146.0 0	-
36	Rudari	Hathiyana	Rudari	Kapasan	74°-23'30	24°-49'-30	1.46	1512.0 0	-
37	Shripura	Shripura	Shripura	Rawatbhat a	75°28'55.7 4"	24°59'6.51 "	1.02	491.00	-
38	Umarcha	Gopalpura	Umarcha	Rawatbhat a	75°20'28.0 4"	24°54'6.39 "	1.05	579.00	-
39	Usrol	Usrol	Usrol	Bhupalsagar	74°-12'-0	24°-53'-30	1.58	1624.0 0	-
40	Dhandhara	Khardi	Khardi	Begun	75°-04'- 20"	25°-04'- 06"	3.00	870.00	120.00
41	Guner	Amarpura	Guner	Chittorgarh	74° 51'	24° 49' 20"	5.50	670.0 0	75.00
42	Jalsagar	Dorai	Jalsagar	Begun	74.99	24.925	5.00	935.0 0	160+35
43	Maladevi	Shambhu Nath ji Ka Khera		Rawatbhat a	75°20'1.5 2"	25° 0'41.80"	3.00	990.0 0	120.00
44	Singhpur	Singhpur	Singhpur	Kapasan	74°-26'- 23"	24°-56'- 23"	1.52	5490.00	

## 2.5 परिवहन :-

सड़क मार्ग –		रेल मार्ग	वायु मार्ग
<ul style="list-style-type: none"> <li>NH 48 – दिल्ली– जयपुर– भीलवाड़ा– चित्तौड़गढ़– उदयपुर– गांधीनगर</li> <li>NH 27 – पिंडवारा –उदयपुर – चित्तौड़गढ़– कोटा– केलवाड़ा – एमपी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SH 9A– उदयपुर –चित्तौड़गढ़</li> <li>SH 9A – कोटा– चित्तौड़गढ़</li> <li>SH 15 – प्रतापगढ़ – चित्तौड़गढ़</li> <li>SH 33 – बूंदी – चित्तौड़गढ़– कोटा</li> </ul>	जिले में रेल यात्रा के लिए चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से राज्य व देश के अन्य जगहों पर यात्रा की जा सकती है।	जिले के नजदीक महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर है।

## 2-6 जिला प्रशासन की सूची

S. No.	Post Name	Office Address	Landline No.	Email
1	Collector & District Magistrate	District Collector Chittorgarh	01472-24001	<a href="mailto:Dm-chi-rj@nic.in">Dm-chi-rj@nic.in</a> <a href="mailto:rajchi@nic.in">rajchi@nic.in</a>
2	Superintendent Of Police	District SP Office Chittorgarh	01472-240006	<a href="mailto:Sp-chi-rj@inc.in">Sp-chi-rj@inc.in</a>
3	CEO Jila Parishad	Jila Parishad Chittorgarh	01472-241265	<a href="mailto:Ceo_nregschittorgh@ahoo.com">Ceo_nregschittorgh@ahoo.com</a>
4	Add. Collector & ADM	District Collector Chittorgarh	01472-240944	<a href="mailto:admchittorgarh@gmail.com">admchittorgarh@gmail.com</a>
5	Add. District Magistrate (LA)	District Collector Chittorgarh	01472-241119	<a href="mailto:admlachi@gmail.com">admlachi@gmail.com</a>
6	System Analyst ( Joint Director)	DOIT & C Chittorgarh	28230 (IP Phone)	<a href="mailto:Dlo.doit.chittor@rajasthan.gov.in">Dlo.doit.chittor@rajasthan.gov.in</a>
7	District Supply Officer	Food & Supply Dept Chittorgarh	01472-240951	<a href="mailto:Dsofood-chi-rj@nic.in">Dsofood-chi-rj@nic.in</a>
8	Additional SP	District Add. SP Office Chittorgarh	01472-242603	<a href="mailto:asphqcgh@gmail.com">asphqcgh@gmail.com</a>
9	Public Relation Officer	Pro Office Chittorgarh	01472-240900	<a href="mailto:prochirj@gmail.com">prochirj@gmail.com</a>
10	District Information Officer	NIC Chittorgarh	01472-241706	Ashokkumarlodha04

## भाग – III

**3.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें** – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :-

क्र. सं.	सेवा का नाम	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी	वर्तमान में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
1.	मुख्यालय	—	9
2.	संचार सेवा	—	30
3.	वार्डन सेवा	—	38
4.	अग्निशमन सेवा	—	39
5.	प्रशिक्षण सेवा	—	23
6.	हताहत सेवा	—	10
7.	बचाव	—	57
8.	साल्वेज सेवा	—	20
9.	पूर्ति सेवा	—	17
10.	डिपो व परिवहन सेवा	—	6
11.	कल्याण सेवा	—	51
12.	शव निपटान सेवा	—	18
	योग	—	318

नॉट :- रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी 2009 के तहत नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबन्धन में अतिरिक्त भूमिका दिये जाने के उपरान्त, भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा उक्त 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के गठन की सिफारिश की गयी है :-

1. मुख्यालय व संचार सेवा
2. वार्डन सेवा
3. हताहत सेवा
4. प्रशिक्षण सेवा
5. अग्निशमन सेवा
6. बचाव व साल्वेज सेवा
7. कल्याण सेवा

(इसके साथ ही उक्त 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त जन-जागरुकता कार्यक्रम (Public Awareness) एवं सामुदायिक क्षमतावर्द्धन (Community Capacity Building) जैसे अतिरिक्त कार्य भी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगे।)

### 3.2 नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन

– नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(I) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :-

क्र.सं	नाम सेवा	पद	दूरभाष नंबर	
			आफिस	घर
1.	मुख्यालय	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा	01472-24001	—
2.	संचार सेवा	मुख्य प्रबन्धक, भारत संचार निगम लि.	01472 244122	—
3.	वार्डन सेवा	उपखण्ड अधिकारी.	01472-241111	—
4.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त, नगर परिषद्	01472-245104 240463	—
5.	प्रशिक्षण सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा	—	—
6.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी	01472-245813 247136	—
7.	बचाव	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग	01472-248500	—
8.	साल्वेज सेवा	जिला कोषाधिकारी	01472-241097	—
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी	01472-240951	—
10.	डिपो व परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी	01472-297099 241177	—
11.	कल्याण सेवा	सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग	01472-241083	—
12.	शव निपटान सेवा	सेन्ट्री निरीक्षक, नगर परिषद्,	01472-245104 240463	—

**4. मुख्यालय सेवा (Headquarter Service)** – मुख्यालय व संचार सेवा के अन्तर्गत नियंत्रक (जिला कलक्टर) द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत्त शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बन्धित सरकारी तन्त्र को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेन्द्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

**4.1 नियंत्रक (Controller)** – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का “नियंत्रक” नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।

- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप-नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देना एवं इसकी जानकारी उच्च-अधिकारियों को भेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकड़ें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

**4.2 मुख्यालय सेवा के कर्तव्य :-** नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (पृष्ठ 97 से 111 तक) के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागों में बाँटा गया है:014-

(क) शान्तिकाल में कर्तव्य :-

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिकों का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वाहनों के ढाँचे में परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबंध करना।
- आपातकालीन समय में डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस तथा स्पेयर पार्ट्स की माँग बढ़ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियंत्रण में रखना।

- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश G.P.C.D. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष में बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना G.P.C.D. में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने में मदद लेना।

**(ख) चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य :-**

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वावलोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।
- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानों के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को-ऑर्डिनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्ति काल में किए गए सभी प्रयासों को मूर्तरूप में तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

**(क) युद्ध काल में कर्तव्य :-**

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।

- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहना।
- डीजल पेट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कड़ाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयों की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनों की उचित व्यवस्था करना।
- समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।


## 5. संचार सेवा (Communication Service)

5.1 चेतावनी प्रणाली :-नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

5.2 नियंत्रण कक्ष – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यकलापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्ध संबंधी सूचनाएँ एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्ध/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में “नियंत्रण कक्ष” स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापन की जाती है।

5.3 चेतावनी प्रणाली – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव में समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेंगे। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबंधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुंचाया जाता है। चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :-


5.3(क) बाह्य चेतावनी प्रणाली (**External Warning System**):— चेतावनी प्रणाली द्वारा बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना उतरलाई के नियन्त्रण कक्ष "एयर डिफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)" से "टाउन सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (TCDCC) ..... को दी जाती है।



5.3(ख) आन्तरिक चेतावनी प्रणाली — बाह्य चेतावनी प्रणाली द्वारा सूचनाएँ स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर अलार्म यंत्र (Air Raid Precaution Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाएँ प्रसारित की जाती है।

- (प) टेलीफोन
- (पप) विद्युत सायरन

**Internal Communication Schema**



**Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan**

- District Collector
- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

**5.4 नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन :-** समय-समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उपलब्ध कराये जाते हैं। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधनों हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों में विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार है:-

**टेलीफोन :-**

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटी' प्रदत्त की जाती है।
- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा "साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसेलिटी" द्वारा प्रदत्त कराई जाती है।

**वायरलैस :-** नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

**मोटरसाईकिल :-** आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनों व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

**5.5 चेतावनी प्रणाली के संदेश -** नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं संदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनों पर सीमित शब्दों के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :-

हवाई हमला चेतावनी संदेश	कार्यवाही	किसके लिए होगा
"पीला"	तैयारी संदेश	केवल संबंधित अधिकारियों को दिया जाना है।
"लाल"	खतरे का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
"हरा"	खतरा टलने का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
"सफेद"	हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

## 6. वार्डन सेवा (Warden Service)

**6.1 वार्डन सेवा संगठन** – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रूप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरूक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यों को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिर्वेपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :-

क्र.सं.	वार्डन पदनाम	जनसंख्या/अन्य आधार	
		नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा।			

6.2 **वार्डन के कर्तव्य** – वार्डन अपने क्षेत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यों के मध्येनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :-

हवाई हमले/आपदा से पहले कार्य	हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य	हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य
<p>वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकारी रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है।</p> <p>वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानों की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओं में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है।</p> <p>वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवकों का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षण अधिकारी को देता है।</p> <p>वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय-समय पर देता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु "सेल्फ हैल्प पार्टी" तैयार करता है।</p>	<p>वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र में स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है।</p> <p>वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिकों को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में सायरन नहीं सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनों से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है।</p> <p>घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।</p>	<p>वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकारी लेता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है।</p> <p>वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आतंक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही करता है।</p> <p>वार्डन निरंतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।</p>

**7. अग्निशमन सेवा (Fire Service)** – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

**7.1 गृह अग्निशमन दल (House Fire Party)** – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

**7.2 ट्रेलर पंप पार्टी** – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पम्प पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

**7.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा** – बड़ी आग पर नियंत्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर-बिग्रेड कार्यरत हैं।

- जिले में प्रायः उपखण्ड क्षेत्र भदोसर कपासन राशमी एवं भूपालसागर अग्नि काण्ड की घटना अधिक घटित होती है।

**जिले में आग से निपटने हेतु उपलब्ध साधन व उपकरण**

क्र.सं.	नाम तहसील	अग्निशमन वाहन (दमकल ) सं.	अधिकारी (नाम पता)	आग बुझाने के उपकरण	फोन नं.
01	चित्तौड़गढ़	07	श्री महेन्द्र सरगरा सहायक अग्निशमन अधिकारी	फायर सिलेण्डर मैकेनिकल फोम हॉज पाईप अन्य उपकरण- एक्सटेंशन लेडर हाईड्रोलिक कटटर,बुड कटटर, पम्प, डोर ब्रेकर	01472-243101
02	कपासन	01	श्री खेमराज सिंह गुर्जर, अधिशाषी अधिकारी मो. नं. 9636933900 श्री नंदलाल	—	01476-231001

			मेनारिया, प्रभारी मो. नं. 9929810535		
03	निम्बाहेड़ा	01	श्री मुकेश जाट फायर प्रभारी नगर परिषद निम्बाहेड़ा	ABC & CO <sub>2</sub> & FOAM CAN	8104348177
04	बेगूँ	01	श्री विष्णु लाल यादव (अधिकाारी) अधिकारी) मो. नं0 9799864604 श्री गोविन्द लाल मेहर, प्रभारी मो. नं0 7597988058	-	01474-230110
05	बड़ीसादड़ी	01	श्री मदन लाल सालवी अधिकाारी अधिकारी, श्री अंकित सिंह कनिष्ठ सहायक (प्रभारी)	अग्निशमन वाहन व पानी का टैंकर	9571419510
06	रावतभाटा	01	श्री मुकेश नागर अधिकाारी, श्री रावतभाटा श्री राजेश जयपाल (फायर प्रभारी)	ABC & CO <sub>2</sub> & FOAM CAN Fire Shut, Fire Boll, DCP	9649374757 7742949827

8. **प्रशिक्षण सेवा (Training Service)**—किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओं पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यों में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

## 8.1 नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन में सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्ध के समय नागरिक सुरक्षा कार्यों का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवकों को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता में अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्तपन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक-सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप में सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यों को शान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सकें।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन-जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

## 8.2 प्रशिक्षण की नीति

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर
बुनियादी प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण सयुक्त प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> <li>● नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर</li> <li>● हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर</li> <li>● केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बँगलोर</li> <li>● राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली</li> </ul>
<p>नॉट :- इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडेशन हो सके।</p>		

**9. हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service)** – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :-

9.1 **स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट** – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :- डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

9.2 **प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)** – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बुलेंस के गठित किया जावेगा।

9.3 **मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट** :- नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :- डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

9.4 **अस्पताल सेवायें** :-आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

10. **बचाव सेवा (Rescue Service)** – मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालने तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता है।

10.1 **बचाव कार्य** – हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकी (भवनों की बनावट से सम्बन्धित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजीनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

10.2 **बचाव दल का गठन** – जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पहुंचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

**11. निस्तारण सेवा (Salvage Service)** – नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान घ्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

**11.1 निस्तारण सेवा के कर्तव्य** :- हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :-

- सूने, घ्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

**नोट :-** घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

**12. पूर्ति सेवा (Supply Service)** – नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाएँ, प्रक्रियाएँ आपातकालीन समय में कई दिशाओं में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए होती हैं, जैसे –आगजनी, मलबे में फंसे व्यक्तियों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाएँ देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यों के लिए विभिन्न तकनीकी/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों

पर खाने-पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

### **13. डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)**

13.1 **डिपो सेवा** – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहां से नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते हैं, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरंजन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस-पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

**डिपो में उपलब्ध सेवाएं** – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यों के दक्ष स्वयंसेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते हैं। डिपो में रहने वाली सेवाएं निम्नानुसार हैं।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैंटीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

13.2 **ट्रान्सपोर्ट सेवा** – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्ध/आपदा के दौरान स्वयंसेवकों को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा

का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :-

- नागरिक सुरक्षा के कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरुस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नहीं है तो नियमानुसार डॉचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

**14. शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)** – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी-कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं-

- सीधे दुर्घटना की चपेट में सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्ध रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु "मृतक निवारण सेवा" गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :-

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।
- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड में रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :-

- (अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।
- (ब) शव के वस्त्र का विवरण।
- (स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
- (य) मृतक की ऊंगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
- (र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

**15. कल्याण सेवा(Welfare Service)** – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता है ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यों हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :-

- **सूचनाएं एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

#### 15.1 कल्याण सेवा के कार्य

(अ) **सूचना एवं प्रसार :-** सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को निर्देश जारी कर संबंधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सूचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाएं मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्रकार के कार्यों की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) **प्रसारण वाहन** – आपातकाल में सूचनार्थ लेने-देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

(स) **आश्रय स्थल** – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यों हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के

लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बड़े पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।

**(द) आपातकाल भोजन केन्द्र** – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

**(य) मोबाइल कैन्टीन** – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थायी नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैन्टीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैन्टीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टाफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :-

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैन्टीन
सहायक	–	3 प्रति कैन्टीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

**(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग** :- हाउसिंग एवं बिलेटिंग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

**(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था** – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाएँ जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती है, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

## भाग – IV

**16. निष्क्रमण (Evacuation)** – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण 'Evacuation' है, जो कि अपने आप में एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :- संकट से पहले व संकट से बाद।

**16.1 संकट से पहले** – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन-जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहाँ क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी।

**16.2 संकट के बाद** – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

**16.3 नियन्त्रक (कलक्टर)** स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक-अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबन्धित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेंगे तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाएँ नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याएँ निम्नानुसार हैं :-

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायन किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने-जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुंच सकते, भगदड़ से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढ़ती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड़ व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओं द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ़ सकते हैं।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड़ सकते हैं, विशेषतः बच्चों का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

16.4 **रास्ता** – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

16.5 **चैक पॉइन्ट कार्य** – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाएँ एकत्रित करने, सरकार को सूचनाएँ देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/ नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चैक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

16.6 **प्रभारीगण** – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर करेगें। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नांकित है :-

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :- कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैन्ट करेगें। वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकारियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :- कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे। लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेगें।
- **लेखाधिकारी** :- कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय-समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- **वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी** :- कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यों की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होंगे।
- **चिकित्सा सहायता** :- सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पाण्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

16.7 **विधुत कार्य** – कैम्प स्थल पर विधुत से संबधित कार्य विधुत विभाग को आवंटित होंगे। संबधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेगें। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

16.8 **जलदाय** – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमांडेंट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

17. **रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स** – किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :-

- अधूरे ढहे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढह सकते हैं, इससे आस-पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते हैं तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 **रिपेयर दल का गठन** – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्य हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :-

- (क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटेरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।
- (ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं बनायेंगे, यह बात विशेष ध्यान में रखी जानी चाहिए।

(ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :-

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव मे आवासीय उपयोग हेतु काम मे लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमे परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नही उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था मे जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते है।

17.2 सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 मकानों को गिराना – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करया जावेगा।

18. आवश्यक सेवाओं का रख रखाव – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विधुत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

19. पशुओं की देखभाल – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति मे पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था मे मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :-

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारु पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने में आपातकालीन समय में उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

**20. हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश नियन्त्रण** – इतिहास में पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण हैं – पहला “रात्रि के अन्धकार में शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्देश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है”। दूसरा “सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त-व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है”। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढ़ते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विधुत व्यवस्था उँचाई से उसके उद्देश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक बन सकता है। प्रकाश नियंत्रण व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागों में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउट करना जिसमें ऊँचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियंत्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

### 20.1 भवन की प्रकाश व्यवस्था

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो काँच के होते हैं गहरे भूरे रंग के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नहीं लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों में संध्या समय के बाद कम दर की विद्युत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

### 20.2 सड़क पर प्रकाश व्यवस्था

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज में फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

### 20.3 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :- किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विद्युत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियों के डिब्बों में विद्युत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होना चाहिए। खिड़की के काँच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
  - दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियंत्रक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेंगे।

## भाग – V

**21. रासायनिक युद्ध (Chemical Warfare)** – रासायनिक युद्ध उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड़-पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

**21.1 रासायनिक गैसों का वर्गीकरण** :- रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क्र.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1.	<p><b>तांत्रिक</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्थिर द्रव के रूप में होती है।</li> <li>● सरीन : फ्लोओरो फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है।</li> </ul>	<p>अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नहीं होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है।</p> <p>गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती है।</p>	<p>देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफड़े का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।</p>
2.	<p><b>व्रण गैस (बिलिस्टर ग्रुप)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मस्टर्ड गैस, तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमड़े, कपड़े लकड़ी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है।</li> <li>● लेविसाइट (आर्सेनिक योग) :</li> </ul>	<p>लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।</p>	<p>वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नहीं निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है।</p> <p><b>वाष्पन</b> : नाक, आंखों और फेफड़ों में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर</p>

	<p>शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोड़ती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है।</p>	<p>जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।</p>	<p>गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। <b>द्रव</b> : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है।मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।</p>
3.	<p><b>श्वास रोधी गैसें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● फॉस्जीन : प्रायः अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नहीं होती।</li> <li>● डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है।</li> <li>● युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नहीं होती।</li> <li>● क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्पील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है।</li> </ul>	<p>गीली घांस के सड़ने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरुचिकर हो जाता है।</p> <p>फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है।</p> <p>विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है।</p> <p>तीखी गंध होती है।</p>	<p>जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, आंसू निकलते रहते हैं, छाती में दर्द होता है, वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पड़ने लगते हैं। फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है।</p> <p>इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते हैं पर अधिक होते हैं पर अधिक क्षोभ उत्पन्न करते हैं और कम जहरीलें होते हैं। इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते हैं अधिक हानिकारक होते हैं।</p>
4.	<p><b>अश्रु गैस</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूप में होती है, गैसीय अवस्था में अदृश्य होती है। चिर स्थायी होती है।</li> <li>● बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो में शुद्ध रूप में होती है। लेकिन सामान्यतः भरे द्रव में चिरस्थायी रूप से</li> </ul>	<p>प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है</p> <p>प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है।</p>	<p>सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नहीं होता।</p> <p>इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)।</p>

	<p>प्रयोग में लायी जाती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सी.ए.पी (क्लोरीन फेनॉन ) इसके रंगहीन क्रिस्टल होते हैं, गैसीय अवस्था में अदृश्य होती है, चिरस्थायी नहीं होती।</li> <li>नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी.सी) सामान्य गैसें होती हैं। रंगहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते हैं। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोड़कर, चिरस्थायी नहीं होती।</li> </ul>	<p>प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है</p> <p>केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है</p>	<p>आंखों में जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा में तत्काल और गहरा क्षोभ होता है।</p> <p>छींके आती हैं, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूड़ों में दर्द होता है। बाद में मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते हैं।</p>
--	---	--	--

**22. जैविक युद्ध (Biological Warfare)** – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय में अधिकाधिक संख्या में उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

**22.1 जैव युद्ध का उद्देश्य :-**

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रूप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

**22.2 नागरिक सुरक्षा में जैव युद्ध से बचाव** – किसी भी राष्ट्र में युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्ध की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सुरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यों के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य समय-समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थों

का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

### 22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनों की जाँच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बन्धित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक “नासा पैड” प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुँचाने का कार्य करेगा।

### 22.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	पशुओ पर रोगाणुओ का प्रयोग	पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग
<b>जीवाणु :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वैसीलस एन्थ्रेसिस (गिलटी)</li> <li>● साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड)</li> <li>● पास्चुरेला पेस्टिस (प्लेग)</li> <li>● थिब्रियो कॉमा (हैजा)</li> </ul> <b>विषाणु (वाइरस) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● एन्फ़ल्यूएंजा विषाणु (एन्फ़्यूएंजा)</li> <li>● संक्रमी यकृत शोथ का विषाणु</li> </ul>	<b>जीवाणु :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वैसीलब एन्थ्रेसिए (गिलटी)</li> <li>● ब्रुसेला गुप ब्रेसेलारुग्णता (ब्रेसेलोसिस)</li> </ul> <b>विषाणु (वाइरस) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मुख पाद रोग विषाणु</li> <li>● पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● हैलमिन्थोस्पोरियम ऑरिजेइ (चावल पर)</li> <li>● पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर)</li> <li>● कार्नीलैक्टियरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)</li> </ul>

<p>(पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस)</li> </ul> <p><b>रिकेट्रिसया :</b> रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस)</p> <p><b>जीवविष (टॉक्सिन) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म)</li> <li>● स्टेफिलोकॉकस जीवविष (अन्नविषाक्तता)</li> </ul>		
---	--	--

**23. परमाणु/आण्विक युद्ध (Nuclear Warfare)** – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रूप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

**23.1 ऊष्मा के प्रभाव** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रूप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रूप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

**23.2 प्रारंभिक और द्वितीयक आग** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारंभिक आग के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

**23.3 परमाणु बम के विष्फोट का प्रभाव** –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रूप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूषण।

- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -
  - (a) Blast effect -45%
  - (b) Heat effect -35%
  - (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Time</li> <li>● Distance</li> <li>● Radiation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Time - Keep exposure time as short as possible</li> <li>● Distance - Keep as far away as possible from the source</li> <li>● Source - Shield body from source wherever possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Use B. A. (Breathing Apparatus) sets</li> <li>● Do not eat, drink &amp; smoke in contaminated area</li> <li>● Withdraw from radiation area if you sustain open wounds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Radiation sickness</li> <li>● Delayed effects</li> <li>● Long term effects</li> <li>● Genetic effects</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Helmet</li> <li>● B.A. (Breathing Apparatus) set.</li> <li>● Turnout coat.</li> <li>● Gloves.</li> <li>● Turnout paint.</li> <li>● Rubber boots.</li> <li>● Radiation Survey Meters.</li> <li>● Eye shield.</li> </ul>

23.4 मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पहुंचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे – इमारतें ढहना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

23.5 परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिट्टी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रुपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पहुंचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :-

- विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रूप ले सकती है।
- विलंबित प्रभाव – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- दीर्घकालिक हानियां – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और ट्यूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- आनुवांशिक हानि – यदि जनन-द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणु बम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- प्रारम्भिक विकिरण—ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रूप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :-

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रूप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1-1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- अवशिष्ट विकिरण – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिट्टी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

### 23.08 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

### 23.9 Suggested Role of District Magistrates of the Districts.

During Peace Conditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Assess the effects that could take place during an attack.</li> <li>● Prepare teams to work during disasters.</li> <li>● Educate the public</li> <li>● Evaluate resources available</li> <li>● Demand for extra resources from the Govt</li> <li>● Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management</li> <li>● Liaise with the neighboring Districts/States</li> <li>● Prepare the Evacuation Plans</li> <li>● Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans</li> </ul>
During an Attack	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Proper Warning System</li> <li>● Taking of Shelter</li> <li>● Arrangement of First Aid to the victims</li> <li>● Control Rumors &amp; give positive information</li> <li>● To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area</li> </ul>
After the Attack	<ul style="list-style-type: none"> <li>● After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout</li> <li>● After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing</li> <li>● Advise people to extinguish fires after the blast wave</li> <li>● Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people</li> <li>● Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside</li> <li>● Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neighbors.</li> </ul>

Work of Radiological Unit and Decontamination unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk of spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere.</li> <li>• The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while standing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly</li> <li>• Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner</li> <li>• Soaking &amp; stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water</li> </ul>
Metrological Deptt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful</li> <li>• If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do</li> <li>• If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors</li> </ul>

**a. EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK**

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

- (a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.
- (b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;
- (c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and
- (d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

b. **BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS**

1. **Map Study.** A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highway routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.
2. **Definition of Evacuation Area.** The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.
3. **Vulnerable Urban District.** A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -
  - (a) **Industrialization.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.
  - (b) **Population.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200,000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area.** The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.
5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet,

however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, and rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -
  - (a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
  - (b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
  - (c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.
  - (d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.
  - (e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.
7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.
8. **Delay Time.** It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.
9. **Direction of movement.** The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.
10. **Traffic Drainage Areas.** It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should

be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

11. **Route Capacity.** It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

- (a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
- (b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
- (c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
- (d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several

variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.
14. **Strategic Evacuation.** Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.
15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.
16. **Wind Directions.** The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

**17- List of District Disaster Management Authorities to be Informed during Offsite Emergency**

S. No.	Official	Alternate Official	Designation in DDMA
1.	Divisional Commissioner, Kota Incident Commander (RO)	District Collector & District Magistrate, Kota	IC
2.	I.G. of Police, Kota Range, Kota	D.I.G. of Police, Kota Range, Kota	Member
3.	District Collector & District Magistrate, Kota	Addl. District Magistrate (Admin.), Kota	Member
4.	District Collector & District Magistrate, Chittorgarh	Addl. District Magistrate, Chittorgarh	RO
5.	District Collector & District Magistrate, Neemuch	Addl. District Magistrate, Neemuch	Member
6.	District Collector & District Magistrate, Mandsaur	Addl. District Magistrate, Mandsaur	Member
7.	Addl. District Magistrate (ADM), Rawatbhata	Sub-Divisional Magistrate (SDM), Rawatbhata	IC
8.	ADM-1, Kota	Next seniormost ADM, Kota	DDMO
9.	Superintendent of Police, Kota Rural	Addl. Superintendent of Police, Kota	Member

10.	Superintendent of Police, Chittorgarh	Addl. Superintendent of Police, Rawatbhata	Member
11.	Superintendent of Police, Neemuch	Addl. Superintendent of Police, Neemuch	Member
12.	Superintendent of Police, Mandsaur	Addl. Superintendent of Police, Mandsaur	Member
13.	Joint Director, Medical & Health, Kota	Chief Medical & Health Officer, Kota	Member
14.	Chief Medical & Health Chittorgarh	Block CMO, Rawatbhata	Member
15.	GOC HQ. 18 inf. Div. Maj. Gen. Army, Kota	Dy. GOC, Kota	Member
16.	Dy. Controller, Civil Defence, Kota	Next Senior most Official	Member
17.	General Manager, BSNL, Kota	Sub Divisional Officer (Telecom), Rawatbhata	Member
18.	Regional Transport Officer, Kota	District Transport Officer, Kota	Member
19.	Deputy Director, Information & Public Relation, Kota	Public Relation Officer, Kota	Member
20.	Superintending Engineer, RR	Executive Engineer, RRVUNL,	Member
<b>S. No.</b>	<b>Official</b>	<b>Alternate Official</b>	<b>Designation in DDMA</b>
	Kota	Rawatbhata	
21.	Superintending Engineer, PHED, Kota	Executive Engineer, PHEI, Kota	Member
22.	Superintending Engineer Resources, Kota	Executive Engineer Water Resources, Rawatbhata	Member
23.	Superintending Engineer, MPSEB, Gandhi Sagar	Executive Engineer, MPSEB, Gandhi Sagar	Member
24.	District Supply Officer, Kota	District Supply Officer (Rural), Kota	Member
25.	Joint Director (Agriculture), Kota	Deputy Director (Agriculture), Kota	Member
26.	Addl. Superintendent of Police, Rawatbhata	Circle Inspector, Rawatbhata	Member
27.	Joint Director, Animal Husbandry, Kota	Deputy Director Animal Husbandry, Kota	Member
28.	Chief Fire Officer, Kota	Fire Officer, Kota	Member

## भाग – VI

25. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :-

S.No.	Name of VA/VPs	Name of Area	No. Of VA/VPs	Assessed Priority
1	Commn Nodes Postal/Telegraph/ Telephones Key Points	NIL	NIL	NIL
2	TV & Radio Stations	NIL	NIL	NIL
3	Bridges/ Rope-way/Railway Station	NIL	NIL	NIL
4	Petroleum & Natural Gas	Indian Oil Corporation Ltd. Jalampura		
5	Mines & Gas works	NIL	NIL	NIL
6	Electric Power Station/ Grid Sub Stations	33/11 KV GSS-Senthi Chittorgarh	1	
		33/11 KV GSS- Diet Bhanwan	1	
		33/11 KV GSS-Meera Nagar	1	
		33/11 KV GSS-Gandhi Nagar	1	
		33/11 KV GSS-Chanderiya Chittorgarh	1	
		33/11 KV GSS- RIICO Nimbahera	1	
		33/11 KV GSS- Dashera Maidan	1	
		33/11 KV GSS- Welcome Chohraya	1	
		33/11 KV GSS- DPH Rawatbhata RPS Rawatbhata	1	
		400 KV Mandalda Chittorgarh	1	
220 KV GGS Chanderiya Chittorgarh	1			
220 KV GSS Nimbahera Chittorgarh				
7	Water Supply/Sewage key points	NIL	NIL	NIL
8	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
9	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
10	Govt factories/ Industrial Installations	Indian Oil Corporation Ltd. Jalampura	1	C
		RPS Rawatbhata	1	C
		400 KV Mandalda Chittorgarh	1	C
		220 KV GGS Chanderiya Chittorgarh	1	C
		220 KV GSS Nimbahera Chittorgarh	1	C
		RSRTC DEPO Chittorgarh	1	C
		RSRTC DEPO Pratapgarh	1	C
		TheGanganagar Sugar Mill Sarab Godam		
Rajasthan State Beege Godam Chittorgarh				
11	Food & Oil Storage Depots	NIL	NIL	NIL
12	Dams, Barrages	NIL	NIL	NIL
13	Treasuries/Banks/ Commercial Markets	NIL	NIL	NIL
14	Pvt Factories/ Industrial Installations	Birla Cement Works Chanderiya	1	B
		Chanderiya Cement Works	1	B
		J.K. Cement Works, Kailash Marg	1	B
		J.K. Cement Works, Mangrol	1	B
		Hindusthan Zinc Ltd. (CLZS) Putholi	1	B
		Hindusthan Zinc Ltd. (DSC) Dariba	1	B
		Ultratech Cement LTD.	1	B
		Adhyapuram Sawa	1	B
		Wonder Cement LTD. R.K. Magar Nimbahera		
Nuvoco Vistas Cor. Ltd. Bgabaliya				
15	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
16	Atomic Energy Est.	Rajasthan Atomic Power Plant Rawatbhata	1	A
17	Imp. Govt. Buildings	NIL	NIL	NIL

18	Miscellaneous key points	NIL	NIL	NIL
19	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
20	Fertilizers Industries	Khetan Chemical Fertilizer Ltd. Dhinba	1	C
		Jubilant Agnee & Conjumer Product Ltd.	1	C
		Shree Ganpati Fertilizer Ltd. Kapasan	1	C
		Tessta Agroo & Fertilizer Ltd. Gangrar	1	C
		Narmada Bio-Chem Ltd. Sagwadiya		
21	Any other special from your perspective	Heavy Water Plant Rawatbhata	1	A
		RanaPratap Sagar Bandh Rawatbhata	1	B
		Hydril Power Project Rawatbhata	1	B
		Sanwaliya ji Mandir Mandal	1	C
		Bhadsoda	1	C
		Durg (kila)	1	C
		Diwana Shah Dargah Kapasan	1	C
		Gambhiri Bandh	1	C
		Ghosunda Bandh	1	C
Matrikundiya Bandh	1	C		

**26. जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची**

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	हेण्ड टूल सेट	4
2	लाईफ जेकेट	50
3	लाईफबॉय	20
4	एल्यूमिनियम एकस्टन लेडर 25' फोल्डिंग	1
5	फेस मास्क	4
6	स्पेड	4
7	पिक्स	4
8	स्ट्रेचर	2
9	बीओबी रोप 20 किग्रा.(180)	1
10	फाइबर रोप 1).(90)	1
11	अग्नि शमन यंत्र ABC+CO2	20
12	फस्ट एड बॉक्स विथ कॉन्टेन्ट्स	8
13	सेपटी हेलमेट्स	10
14	बॉक्स स्टील विथ 2 लॉक 6'x 3'x 3'	2
15	रबर टयूब्स	3
16	फस्टएड बॉक्स	4
17	हेण्ड रबर ग्लोव्स	10
18	गैस कट्टर	1
19	बलाई	2
20	मेगाफोन	2
21	रेनकोट	30
22	ग्राइन्डर कटर	01
23	Full Body Harness	06 nos
24	Half Fiber Spine Board with Velcro	01nos

25	Padded Board Splint Wooden Short/Medium/Large	2 set
26	Flexible Splints Large/Med/Small	2 set
27	Pneumatic Splints	02 nos
28	Bandage Triangular	100 nos
29	Breathing Apparatus Set	1 nos
30	Inflatable Rescue Boat with OBM	1 nos
31	Dragon Light LED	2 nos
32	Nylon Rope	200 mtr
33	BOB Rope	200 mtr
34	Hand Gloves	27 pair
35	Gum Boots	22 pair
36	Helmet with Torch	6 nos
37	Tent Canvas	1 nos
38	Gas Mask	2 nos
39	Auto Locking Device	1 nos
40	Manila Rope	200 mtr
41	Padded Seat Harnes	2 nos
42	Caramental Rope	200 mtr
43	Fiber Spine Board Full with Velcro	1 nos
44	Chemical Mask	2 nos
45	Pocket Mask(CPR)	2 nos
46	Mannequin Face Shield Packets	1 nos
47	Emergency Rescue Stretcher	1 nos
48	Gas Mash	5 nos
49	Carabiner	5 nos
50	Half Body Harness	4 nos
51	Descender	2 nos
52	Jumer/Ascenderrescue	2 nos
53	Twin Pulley	1 nos
54	Single Pulley	1 nos
55	Safety Goggles	15 nos
56	Chemical Gloves	2 pair
57	Body Bag	1 nos
58	Drone cemra	1 nos
59	Fire Suit	2 Nos
69	Electric siren	20 Nos

जिले मे नामांकित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको की सूची

क.स.	सी.डी नं.	नाम स्वयंसेवक	पता	मोबाईल नं.	नाम सेवा
1	1	श्री ऋतुराज सिंह/निर्भय सिंह पंवार	गिरवर सिंह का खेडा गंगरार	8890418941	वार्डन सेवा
2	2	श्री किशन लाल/ कालूराम गुर्जर	देवदा	7728881938	प्राथमिक उपचार सेवा
3	3	श्री राकेश/मदन लाल धाकड़	बिजयपुर सेतलिया	8239670676	वार्डन सेवा
4	4	श्री सुर्यवीर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह राणावत	राणावतों का खेड़ा पोस्ट बावलास गंगरार	8003323670	वार्डन सेवा
5	5	श्री पुष्कर गुर्जर/हजारी लाल गुर्जर	देवदा	9602547493	मुख्यालस एवं संचार सेवा
6	6	श्री सोहन लाल बैरवा/माधव लाल बैरवा	हाउसिंग बोर्ड सेगवा, तिलक नगर, चित्तौड़गढ़	8769417011	बचाव एवं संचार सेवा
7	7	श्री राजकुमार जाट/देवी लाल जाट	दड़बा	8094271256	मुख्यालस एवं संचार सेवा
8	8	श्री कमलेश शर्मा पुत्र श्री ईश्वर प्रसाद	हाउसिंग बोर्ड सेगवा	8278678945	बचाव एवं संचार सेवा
9	9	श्री सुरेश/भगवान लाल गुर्जर	मिठाई बाजार, लक्ष्मीनाथ मन्दिर के सामने, चित्तौड़गढ़	9636768533	प्राथमिक उपचार सेवा
10	10	श्री अंकित/कन्हैयालाल मेघवाल	ओरडी पोस्ट ओछडी तह चित्तौड़गढ़	8094226714	प्रशिक्षण सेवा
11	11	श्री देवी लाल धोबी/प्रेमशंकर धोबी	चित्तौड़गढ़	7742447508	बचाव एवं संचार सेवा
12	15	श्री प्रकाश गुर्जर पुत्र श्री शंकर लाल गुर्जर	दड़बा	9672514438	वार्डन सेवा
13	16	श्री राजेन्द्र कुमार ओड पुत्र श्री प्रभूलाल ओड	गणेशपुरा पो. बूढ तह. गंगरार	9587136797	प्राथमिक उपचार सेवा
14	19	श्री कैलाश चन्द्र वैष्णव/रामचन्द्र वैष्णव	नगरपानिका कॉलोनी, चित्तौड़गढ़	9166606888	बचाव एवं संचार सेवा
15	20	श्री विक्रम सिंह राव/नाहर सिंह राव	136 राजपुत मोहल्ला खरदेवला तह. बडी सादडी	9680257196	मुख्यालस एवं संचार सेवा
16	21	श्री जयेश कुमावत/देवी लाल कुमावत	देहली गेट छिपा मोहल्ला चित्तौड़गढ़	7568537639	प्राथमिक उपचार सेवा
17	23	श्री रामलाल भोई/ हीरालाल भोई	भोईखेड़ा	7568537639	वार्डन सेवा
18	24	श्री रतन लाल/गोपी लाल भोई	भोईखेड़ा	9928805540	बचाव एवं संचार सेवा
19	26	श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	मु. पो. ऑवलहेडा तह.बरसी	8440075963	प्राथमिक उपचार सेवा
20	27	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा/शान्ती लाल शर्मा	पालका		प्राथमिक उपचार सेवा

21	28	श्री गोपाल लाल धाकड़/ जयराज धाकड़,	पालका	6350458526	प्राथमिक उपचार सेवा
22	29	श्री मुकेश कुमार भोई/भैरु भोई	भोईखेड़ा	9785262020	वार्डन सेवा
23	30	श्री राजकुमार भोई/बद्री लाल भोई	भोईखेड़ा	9799800696	प्राथमिक उपचार सेवा
24	31	श्री रमेश कुमार भोई/श्री भाग भोई	भोईखेड़ा	9799800696	प्राथमिक उपचार सेवा
25	32	श्री रतन लाल भोई/श्याम लाल भोई	भोईखेड़ा	9166573238	प्राथमिक उपचार सेवा
26	33	श्री नारायण लाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रजापत	दड़बा	9929003552	प्रशिक्षण सेवा
27	35	श्री नारायण लाल भोई/ मोहन लाल भोई	भोईखेड़ा	9571446726	प्राथमिक उपचार सेवा
28	36	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल प्रजापत	जवासिया गंगरार	8562073172	अग्निशमन सेवा
29	38	श्री नारायण कीर/रामा कीर	कीरखेड़ा	8003271115	अग्निशमन सेवा
30	39	श्री सांवरलाल शर्मा/ मथरालाल शर्मा	धनेतटोकरीया	9680552009	अग्निशमन सेवा
31	40	श्री ललित कुमावत/मोहन लाल कुमावत	धनेतटोकरीया	9680552009	अग्निशमन सेवा
32	41	श्री रामेश्वर लाल दरोगा/ लादू लाल	साडास	99929334141	अग्निशमन सेवा
33	42	श्री हेमन्त भोई/राम लाल भोई	भोईखेड़ा	7340227522	अग्निशमन सेवा
34	43	श्री रतन लाल कुमावत/भैरु लाल कुमावत	ऑवलहैडा तह. बस्सी	8440088286	कल्याण सेवा
35	44	श्री रामेश्वर लाल चमार/ बरदीचन्द चमार	ऑवलहैडा तह. बस्सी	9166471891	कल्याण सेवा
36	45	श्री भैरु लाल धाकड़/ भगवान धाकड़	मेघपुरा		कल्याण सेवा
37	46	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री भगवान लाल धाकड़	मेघपुरा	9680964379	कल्याण सेवा
38	47	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह राणावत	वैशाली नगर चित्तौडगढ	7014414728	कल्याण सेवा
39	48	श्री प्रताप सिंह राठौर पुत्र श्री रामसिंह राठौर	5 विकाश नगर मधुवन	6378729584	कल्याण सेवा
40	49	श्री शोभाग लाल कुमावत/ राम लाल कुमावत	बिनोता	9772978780	कल्याण सेवा
41	50	श्री विक्रम राजौरा/ पंकज कुमावत	निम्बाहेड़ा	9166598520	कल्याण सेवा
42	52	श्री दिनेश कुमार पूर्विया/श्री लेहरू लाल पूर्विया	बुढ़	9950690134	कल्याण सेवा

43	58	श्री मुकेश चन्द्र/श्री काशीराम	जाट मोहल्ला लेशवा चित्तौड़गढ़	8432200804	कल्याण सेवा
44	59	श्री मुकेश कुमार/श्री भैरूलाल रेगर	पालका तह. बस्सी	9166471891	बचाव एवं संचार सेवा
45	60	श्री दुर्गाशंकर कुमावत/श्री नन्दराम कुमावत	पालका तह. बस्सी	7073690045	मुख्यालय एवं संचार सेवा
46	61	श्री यशवन्त भोई/श्री हेमराज भोई	गिलुंड	9680964379	बचाव एवं संचार सेवा
47	62	श्री भैरूलाल भोई/श्री रामलाल भोई	भोईखेड़ा	9413407999	प्राथमिक उपचार सेवा
48	63	श्री सागर खां मेवाती/श्री कालू खां मेवाती	दड़बा	9166343373	प्रशिक्षण सेवा
49	68	श्री भैरूलाल पूर्बिया/श्री गेहरू लाल पूर्बिया	बूढ तह. गंगरार	9799322693	बचाव एवं संचार सेवा
50	70	श्री देवेन्द्र खंगरोत/श्री अमर सिंह	बूढ तह. गंगरार	8949999477	प्राथमिक उपचार सेवा
51	71	श्री रतन लाल पूर्बिया/श्री छितर पूर्बिया	पूर्बिया मोहल्ला गोरा जी का खेड़ा बडोदिया	9950690134	मुख्यालय एवं संचार सेवा
52	77	श्री मनीष सिंह चौहान/ श्री भंवर सिंह चौहान	पूर्बिया मोहल्ला गोरा जी का खेड़ा बडोदिया	9875210531	मुख्यालय एवं संचार सेवा
53	78	श्री कालू राम भोई/श्री नारायण भोई	भोईखेड़ा	7737777130	प्राथमिक उपचार सेवा
54	79	श्री जगदीश भोई/श्री घीसूलाल भोई	भोईखेड़ा	7073690045	मुख्यालय एवं संचार सेवा
55	80	श्री प्रियदर्शन सिंह चारण/श्री सत्यदेव सिंह चारण	चित्तौड़गढ़	7665868127	प्राथमिक उपचार सेवा
56	81	श्री बालकनाथ योगी/श्री मागुनाथ योगी	पो. रुद तह राशमी	9929140720	प्राथमिक उपचार सेवा
57	82	श्री रघुराज सिंह चौहान/श्री नरायण सिंह चौहान	चित्तौड़गढ़	9166343373	प्रशिक्षण सेवा
58	83	श्री रतन लाल गुर्जर/श्री नंदलाल गुर्जर	दुवालिया	7568263199	प्राथमिक उपचार सेवा
59	85	श्री अर्जुन लखारा/श्री भैरूलाल लखारा	2 ई 34 सेगवा हाउसिंग बोर्ड	7820977259	प्राथमिक उपचार सेवा
60	86	श्री लक्ष्मी नारायण तेली/श्री सत्यनारायण तेली	चित्तौड़गढ़	9660555102	अग्निशमन सेवा
61	87	श्री मदन लाल साल्वी/श्री सोहन लाल साल्वी	जूना बाजार किला रोड चित्तौड़गढ़	9875210531	अग्निशमन सेवा
62	90	श्री नरेन्द्र जायसवाल/श्री लाल चंद जायसवाल	चित्तौड़गढ़	7737777130	अग्निशमन सेवा

63	91	श्री रामेश्वर दास कामड़/श्री शम्भुदास कामड़	चित्तौड़गढ़	9571506279	कल्याण सेवा
64	93	श्री डालचन्द भोई/श्री रामलाल भोई	भोईखेड़ा	6350138438	कल्याण सेवा
65	95	श्री दशरथ सिंह शक्तावात/श्री गणपत सिंह शक्तावात	विजयनगर तह बस्सी	9587189013	कल्याण सेवा
66	97	श्री रतन लाल भोई/श्री गंगाराम भोई	भोईखेड़ा	8949404524	कल्याण सेवा
67	98	श्री कालू राम भोई/श्री गंगाराम भोई	भोईखेड़ा	9672706531	कल्याण सेवा
68	100	श्री किशन लाल जाट/श्री कुकाराम जाट	गणेशपुरा पोस्ट बुढ़ तह.गंगारार	7742486019	कल्याण सेवा
69	101	श्री दिनेश गायरी/श्री देवीलाल गायरी	चित्तौड़गढ़	7023258856	कल्याण सेवा
70	102	श्री विनोद जाट/श्री लेहरू लाल जाट	चित्तौड़गढ़	8209072810	बचाव एवं साल्वेल सेवा
71	104	श्री गोपाल लाल/श्री छगन लाल	चित्तौड़गढ़	7878576453	बचाव एवं साल्वेज सेवा
72	105	श्री रतन लाल भोई/श्री मदन लाल भोई	भोईखेड़ा	8290353188	बचाव एवं साल्वेज सेवा
73	106	श्री रतनलाल भोई/श्री सोहन लाल भोई	भोईखेड़ा	6350295243	बचाव एवं साल्वेज सेवा
74	108	श्री तेजपाल सिंह भाटी/श्री छोटू सिंह भाटी	चित्तौड़गढ़	8094642385	बचाव एवं साल्वेज सेवा
75	109	श्री दुर्गेन्द्र सिंह चौहान/श्री रघुवीर सिंह चौहान	चित्तौड़गढ़	8890652418	मुख्यालस एवं संचार सेवा
76	110	श्री भेरूलाल गुर्जर/श्री हीरालाल गुर्जर	रावलिया तहसील निम्बाहेड़ा।	9414290992	मुख्यालस एवं संचार सेवा
77	115	श्री गोपाल सिंह राठौड/श्री ब्रजमोहन सिंह	चित्तौड़गढ़	7728077333	वार्डन सेवा
79	118	श्री रामनारायण जोशी / श्री रामेश्वर लाल शर्मा	पारसोली	9662005616	संचार सेवा
80	119	श्री चन्द्रप्रकाश धाकड़/ श्री सत्यपाल धाकड़	जयसिंहपुरा	7023271560	वार्डन सेवा
81	120	श्री भरत सिंह सोलकी/श्री राम सिंह सोलकी	सोलकीयों का खेड़ा	8107883664	वार्डन सेवा
82	121	श्री बादल भारद्राज/श्री दिनेश कुमार भारद्राज	बडीसादड़ी	8905209600	संचार सेवा
83	122	श्री उमेश लौहार /श्री रामेशवर लाल लौहार	बडीसादड़ी	7725963235	अग्निशमन सेवा

84	123	श्रीमती निर्मला सरगरा पति श्री राजकुमार सरगरा	बोयडा, बडीसादडी	7424934198	अग्निशमन सेवा
85	124	श्री नारायणलाल सालवी / श्री कन्हैयालाल सालवी	बिछोर, बेंगु	9982537789	प्रशिक्षण सेवा
86	125	श्री अन्नु कुमारी शर्मा / श्री बंशीलाल शर्मा	पाछुन्दा, बेंगु	8107357809	हताहत सेवा
87	126	श्री मनोज कुमार अहीर / श्री आनंदीलाल अहीर	बिछोर, बेंगु	9983001283	बचाव सेवा
88	127	श्री दीपक सुथार / श्री गोवर्धनलाल सुथार	पारसोली, बेंगु	72401825120	बचाव सेवा
89	128	श्री दिलीप कुमार दमामी / श्री शिवलाल दमामी	डोराई, बेंगु	9549193373	बचाव सेवा
90	129	श्री इकरामुद्दीन अंसारी / श्री शरीफ मोहम्मद अंसारी	अजमेरी गली, बेंगु	9529684692	बचाव सेवा
91	130	श्री राजु सेन / श्री सत्यनारायण सेन	टुकराई तहसील बेगू	8890898277	बचाव सेवा
92	131	श्री भैरूलाल धोबी / श्री मदनलाल धोबी	बिछोर तहसील बेगू	6376860958	कल्याण सेवा
93	132	श्री धीरज सिंह चावडा / शंकरसिंह चावडा	परसोली तहसील बेगू	8058700160	कल्याण सेवा
94	133	श्री गणेशलाल धाकड / श्री डूंगालाल धाकड	तेजपुर तहसील बेगू	8619288338	कल्याण सेवा
95	134	श्री प्रकाशचन्द्र रेगर / श्री जमनालाल रेगर	तेजपुर तहसील बेगू	7014110245	अपूर्ति सेवा
96	135	श्री श्यामसिंह चुण्डावत / श्री तवरसिंह चुण्डावत	देवरियां, शादी तहसील बेगू	9829536298	अपूर्ति सेवा
97	136	श्री रवि अहीर / श्री गोपीलाल अहीर	बिछोर तहसील बेगू	9649592058	अपूर्ति सेवा
98	137	श्री पंकज भटनागर / श्री राजेन्द्र कुमार भटनागर	परसोली तहसील बेगू	7611089453	संचार सेवा
99	138	श्री कुलदीप सिंह शक्तावत / श्री नारायण सिंह शक्तावत	नाहरगढ तहसील भदेसर	7023225302	संचार सेवा
100	139	श्री बलवन्त सिंह शक्तावत / श्री रतन सिंह शक्तावत	नाहरगढ तहसील भदेसर	9772451250	संचार सेवा
101	140	श्री विनोद कुमार मेघवाल / श्री गंगाराम मेघवाल	सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास भदेसर	7891956102	वार्डन सेवा
102	141	श्री अभिषेक उपाध्याय / श्री गोपाल लाल उपाध्याय	शिव मंदिर के पास आजाद मोहला.भादसोडा	8764447368	वार्डन सेवा

103	142	श्री अरुण नाथ योगी / श्री विष्णु नाथ योगी	भावनाथ की खेडी.भालुण्डी तहसील भदेसर	6375184388	वार्डन सेवा
104	143	श्री सुरेश चन्द्र आचार्य / श्री हिरालाल आचार्य	भादसौडा तहसील भदेसर	7568910108	वार्डन सेवा
105	144	श्री अक्षय कुमार पालीवाल / श्री ओम प्रकाश पालीवाल	कन्नौज तहसील भदेसर	9079669195	अग्निशमन सेवा
106	145	श्री अजय पालीवाल /	कन्नौज तहसील भदेसर	9079334853	अग्निशमन सेवा
107		श्री अजय पालीवाल / श्री प्रेम शंकर पालीवाल	कन्नौज तहसील भदेसर	9079334853	अग्निशमन सेवा
108	146	श्री सोहन लाल माली / श्री चम्पालाल माली		9610665790	प्रशिक्षण सेवा
109	147	श्री धर्मराज जाट / श्री हरलाला जाट	टाण्डी खेडा, धनते पोटलाकलां तहसील भदेसर	9166785953	प्रशिक्षण सेवा
110	148	श्री विनोद जाट / श्री रामेश्वर लाल जाट	भादसौडा तहसील भदेसर	6375678281	प्रशिक्षण सेवा
111	149	श्री शिव गिरी / श्री श्याम गिरी	भादसौडा तहसील भदेसर	6376468315	हताहत सेवा
112	150	श्री राज कुमार जाट / श्री पृथ्वीराज जाट	मदनपुरा तहसील भदेसर	9660902821	हताहत सेवा
113	151	श्री किशन लाल जाट / नारायण लाल जाट	केसर खेडी तहसील भदेसर	6367878755	हताहत सेवा
114	152	श्री मदन लाल गाडरी / श्री रामलाल गाडरी	बानसेन तहसील भदेसर	9462211375	संचार सेवा
115	153	श्री भैरुसिंह राव / श्री मनोहर सिंह राव	डेलवास, पीपलवास तहसील भदसेर	9829513920	संचार सेवा
116	154	श्री दुर्गेश / श्री शंकर सिंह राणावत	लांगच तह.कपासन	9829635656	वार्डन सेवा
117	155	श्री देव कलाल / श्री दीप चन्द्र कलाल	उन्दायला	7688903626	वार्डन सेवा
118	156	श्री पवन कुमार भट्ट / श्री गोपाल लाल भट्ट	भाटो का बामणिया, कपासन	9413809120	बचाव सेवा
119	157	श्री नरेन्द्र कुमार / श्री गोपाल लाल भट्ट	भाटो का बामणिया, कपासन	9829129998	बचाव सेवा
120	158	श्री महावीर सामोदिया / श्री देवेन्द्र सिंह सामोदिया	सिंहपुर तहसील कपासन	9887259180	बचाव सेवा
121	159	श्री महेन्द्र सिंह राजपुत / श्री देवेन्द्र सिंह राजपुत	ब्रहमपुरी कपासन	8290578404	बचाव सेवा

122	160	श्री सुरेश चंद्र / श्री रतन लाल जाट	पाण्डोली स्टेशन, कपासन	9799288519	बचाव सेवा
123	161	श्री बालुराम / श्री उदयराम जाट	मेवदा	9785816674	बचाव सेवा
124	162	श्री दीपक कुमार / श्री विजय प्रकाश गर्ग	भैरु जी का चौक पुराना राशमी रोड वार्ड नं. 17, कपासन	8561034075	बचाव सेवा
125	163	श्री सुरज / श्री विजय गर्ग	भैरु जी का चौक पुराना राशमी रोड वार्ड नं. 17, कपासन	7742807718	बचाव सेवा
126	164	श्री सुनिल / श्री रतन दास वैष्णव	तुरकिया खुर्द, कपासन	6376749511	बचाव सेवा
127	165	श्री युवराज / श्री रामेश्वर लाल जाट	तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन	8107119192	बचाव सेवा
128	166	श्री भरत धाकड़ / श्री मदनलाल धाकड़	उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा	9928165938	बचाव सेवा
129	167	श्री दिलीप धाकड़ / श्री गोपाललाल धाकड़	उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा	9783863143	कल्याण सेवा
130	168	श्री विनोद वैष्णव / श्री पिता ओमप्रकाश वैष्णव	जावदा तहसील निम्बाहेड़ा	8094459175	कल्याण सेवा
131	169	श्री राहुल / श्री कालूराम मेघवाल	विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा	7877453118	कल्याण सेवा
132	170	श्री विक्रम बंजारा / श्री रोडीलाल बंजारा	कदमाली तहसील निम्बाहेड़ा।	8005504928	कल्याण सेवा
133	171	श्री अंकित लौहार / श्री जगदीश लौहार	अहीरो का पुरा निम्बाहेड़ा	7891181022	कल्याण सेवा
134	172	श्री उदेश गुर्जर / श्री देवीलाल जी गुर्जर	रावलिया तहसील निम्बाहेड़ा।	9057201073	कल्याण सेवा
135	173	श्री देवकरण गुर्जर / श्री मोतीलाल गुर्जर	रावलिया तहसील निम्बाहेड़ा।	6377179914	कल्याण सेवा
136	174	श्री देवीलाल खटीक / श्री हुक्मीचंद खटीक	चित्तौड़ी दरवाजे के अन्दर, निम्बाहेड़ा	7742235107	कल्याण सेवा
137	175	श्री कन्हैयालाल गुर्जर / श्री बाबूलाल गुर्जर	बरड़ा पोस्ट गादोला	7877282759	कल्याण सेवा
138	176	श्री रवि कुमार / श्री लीला शंकर बलाई	सरसी तहसील निम्बाहेड़ा	7742955976	कल्याण सेवा
139	177	श्री लकिता कुमावत / श्री बालचन्द्र कुमावत	24 श्रीराम कॉलोनी, गली नं. 01, निम्बाहेड़ा	8209900290	कल्याण सेवा

140	178	श्री संजू सुथार/श्री मदनलाल सुथार	कृपाराम जी की खेड़ी ग्राम पंचायत अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा।	9257507112	वार्डन सेवा
141	179	श्री राजेन्द्र कुमार गाच्छा/श्री रोशन लाल	06 रतनराज नगर शर्मा नर्सिंग हॉम के पास, निम्बाहेड़ा	9024440090	वार्डन सेवा
142	180	श्री घनश्याम मेघवाल/श्री कालूराम मेघवाल	विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा	8769577255	वार्डन सेवा
143	181	श्री पुष्कर/ श्री रामनारायण जी धाकड़	कचरिया खेड़ी	9119136068	वार्डन सेवा
144	182	श्री धर्मवीर सिंह चौहान /श्री मानसिंह चौहान	79 जेल के पास निम्बाहेड़ा	9414303037	वार्डन सेवा
145	183	श्री राजू/श्री नाथूलाल पूर्विया	राशमी	9783424460	वार्डन सेवा
146	184	श्री अमजद खान मेवाती /श्री साकिर खां मेवाती	राशमी	8690887102	वार्डन सेवा
147	185	श्री छोगा लाल/श्री भंवरलाल लुहार	डिण्डोली	9001950901	वार्डन सेवा
148	186	श्री शाहरुख खान मेवाती/श्री जाकीर खान	उपरेड़ा राशमी	8949037532	वार्डन सेवा
149	187	श्री नानूराम/श्री नारू जाट	चटावटी भीमगढ़,राशमी	7742489892	वार्डन सेवा
150	188	श्री नारायण नाथ पिता श्री रामथ	रूद राशमी	7597084511	संचार सेवा
151	189	श्री मनीष नाथ/श्री रामनाथ योगी	रूद राशमी	6376439544	संचार सेवा
152	190	श्री साहिल खान मेवाती/श्री आजाद खान मेवाती	राशमी	7742924466	संचार सेवा
153	191	श्री रामप्रसाद/श्री सुरेश चंद्र रेगर	गोपालपुरा पोस्ट आरनी तहसील राशमी	8239184016	संचार सेवा
154	192	श्री विक्रम सिंह /श्री विजय सिंह चौहान	चटावटी,पो-भीमगढ़,राशमी	9166394685	संचार सेवा
155	193	श्री महेन्द्र सिंह/श्री रूप सिंह चौहान	चटावटी पोस्ट भीमगढ़	7073964455	संचार सेवा
156	194	श्री कालूराम/श्री देवीलाल गाडरी	रधुनाथपुरा पोस्ट अडाना	8094793997	प्रशिक्षण सेवा

157	195	श्री गोदूलाल/श्री भैरूलाल गाडरी	गेंगपुरा तहसील राशमी	9829074477	प्रशिक्षण सेवा
158	196	श्री प्रेमसिंह/श्री विक्रम सिंह चुण्डावत	मान्यास पोस्ट साखली राशमी	8094552496	प्रशिक्षण सेवा
159	197	श्री शान्तिलाल/श्री मोतीराम चौधरी	मदानिया चौक डिण्डोली	8239206267	प्रशिक्षण सेवा
160	198	श्री कृष्ण/श्री श्यामलाल खटीक	सांखली	8302886910	प्रशिक्षण सेवा
161	199	श्री चंद्रप्रकाश/श्री ललित कुमार गवारिया	कुम्हारों का मोहल्ला डूंगला	6375485705	शव निपटान सेवा
162	200	श्री कालुराम/श्री शान्तिलाल मोची	चिकारडा डुंगला	9929248536	शव निपटान सेवा
163	201	श्री लोकेश/श्री रामेश्वर लाल मेघवाल	बिडों का खेडा पोस्ट रावतपुरा डूंगला	8769342642	शव निपटान सेवा
164	202	श्री लोकेश कुमार/श्री मीदूलाल मेघवाल	नंगा खेडा ग्र.प. भाटोली बागरियान डूंगला	6375330239	शव निपटान सेवा
165	203	श्री महेश कुमार पुष्करणा/श्री नारायणलाल पुष्करणा	चटावटी पोस्ट भीमगढ़	7665856018	शव निपटान सेवा
166	204	श्री विनोद कुमार /श्री जगनाथ मेघवाल	रावतपुरा डूंगला	7877967881	शव निपटान सेवा
167	205	श्री नारायणलाल गुर्जर /श्री रतनलाल गुर्जर	गोवलिया तहसील गंगरार	9785172074	शव निपटान सेवा
168	206	श्री देवीलाल /श्री भीमराज जाट	गणेशपुरा पोस्ट बुढ़	8107627091	शव निपटान सेवा
169	207	श्री रोहित सिंह राणावत/श्री गजेन्द्र सिंह राणावत	सालरिया पोस्ट तुम्बडिया तहसील गंगरार	8955460154	साल्वेज सेवा
170	208	श्री राधेश्याम/श्री भैरूलाल गुर्जर	हनुमान गली दादियाँ	9610276067	साल्वेज सेवा
171	209	श्री राजू लाल /श्री शम्भूलाल गुर्जर	सालेरा	9785110260	साल्वेज सेवा
172	210	श्री जगदीश/श्री नारायणलाल गाडरी	पुरानी आबादी पुठोली	9660567029	साल्वेज सेवा
173	211	श्री यशवंत सिंह/श्री कमल सिंह चौहान	जावलिया का खेडा	8696765232	साल्वेज सेवा
174	212	श्री दौलत सिंह/श्री मिठूसिंह राणावत	नंगा खेडा ग्र.प. भाटोली बागरियान डूंगला	7297069929	पूर्ति सेवा
175	213	श्री बबलू सिंह/श्री राजसिंह राणावत	मेडीखेडा	9950403564	पूर्ति सेवा

176	214	श्री दुर्गेश लाल/श्री प्रभूलाल जाट	अमरपुरा पोस्ट सुदरी तहसील गंगरार	7877168978	पूर्ति सेवा
177	215	श्री राजू लाल /श्री नाथूलाल जाट	खारखंडा तहसील गंगरार	8741962160	पूर्ति सेवा
179	216	श्री सोनूसिंह/श्री रतनसिंह चौहान	जावलियों का खेड़ा	7878699072	पूर्ति सेवा
180	217	श्री कमलेश कुमार/श्री मोहनलाल धाकड़	आकोडिया ग्र.पं. कुवालिया तहसील गंगरार	7568095840	कल्याण सेवा
181	218	श्री श्रवणसिंह /श्री किशनसिंह राणावत	चौगावड़ी तहसील गंगरार	6377667862	कल्याण सेवा
182	219	श्री गौतम कुमार/श्री मदन लाल शर्मा	खारखन्दा	8619687193	कल्याण सेवा
183	220	श्री लोकेश कुमार/श्री दिनैश कुमार भांड	गणेशपुरा पोस्ट बुढ़	9116511437	कल्याण सेवा
184	221	श्रीमती सुमनकंवर/श्री शिवसिंह चुण्डावत	लालास तहसील गंगरार	8769805144	कल्याण सेवा
185	222	श्री बालमुकुन्द/किशनलाल गुर्जर	सारन	9664060312	कल्याण सेवा
186	223	श्री दिनेश कुमार/श्री कुका जाट	गणेशपुरा बुढ़ गंगरार	8955152748	कल्याण सेवा
187	224	श्री लखनसिंह/राजसिंह राणावत	मेड़ीखेड़ा पोस्ट सुवानिया तहसील गंगरार	9799010795	कल्याण सेवा
188	225	श्री दिनेश चंद्र/श्री श्यामलाल गुर्जर	सोनियाना	9521875550	अग्निशमन सेवा
189	226	श्री किशन/रतनलाल गाडरी	पुडोली	9799227852	अग्निशमन सेवा
190	227	श्री हेमराज/श्री रामकरण माली	बोरदा	6367649177	अग्निशमन सेवा
191	228	श्री सुनिल कुमार/श्री गिरधारीलाल वैष्णव	सुदरी पोस्ट सुदरी गंगरार	9950074716	अग्निशमन सेवा
192	229	श्री सत्यनारायण /श्री बालुराम पुर्बिया	सिंगोला	7891507625	अग्निशमन सेवा
193	230	श्री गोवर्धन लाल/श्री मोहनलाल जाट	भवानीपुरा	7340466598	अग्निशमन सेवा
194	231	श्री अरविन्द सिंह/श्री मानसिंह राणावत	राणावतों का खेड़ा पोस्ट बावलास गंगरार	7014300029	अग्निशमन सेवा
195	232	श्री भैरूसिंह/श्री नाथूसिंह चौहान	लक्ष्मणसिंह का खेड़ा गंगरार	9610653482	अग्निशमन सेवा

196	233	श्री दलपत सिंह/श्री भैरुसिंह सोलंकी	साखड़ो का खेड़ा	9079662275	अग्निशमन सेवा
197	234	श्री देवलाल/श्री रंगलाल गुर्जर	रेनखेड़ा	9352260859	अग्निशमन सेवा
198	235	श्री सन्नी/श्री तेजा कहार	वार्ड नं. 11 चारण बस्ती रावतभाटा	7568485067	अग्निशमन सेवा
199	236	श्री करण कुमार/श्री रामबाबू प्रजापत	वार्ड नं. 5 ए 1सी सीट 1 आरपीएस कालोनी रावतभाटा	9024762505	अग्निशमन सेवा
200	237	श्री संजय/श्री कैलाश कहार	वार्ड नं. 12 चारण बस्ती रावतभाटा	9602266447	अग्निशमन सेवा
201	238	श्री अर्जुन/श्री प्रभुलाल कहार	चारण बस्ती रावतभाटा	9352751346	डिपो एव परिवहन सेवा
202	239	श्री राकेश कुमार/श्री मोडूलाल मेघवाल	हलखेड़ा	9636436560	डिपो एव परिवहन सेवा
203	240	श्री जितेन्द्र /श्री ऑमप्रकाश सोनी	एफ 33आरपीएस कॉलोनी रावतभाटा	9024494336	डिपो एव परिवहन सेवा
204	241	श्री चौथमल/श्री रामप्रसाद कहार	वार्ड नं. 11 चारण बस्ती रावतभाटा	8094491241	डिपो एव परिवहन सेवा
205	242	श्री विजय/श्री दिनेश कुमार सोनी	वार्ड नं. 09 चक्की मोहल्ला, रावतभाटा	9358052174	डिपो एव परिवहन सेवा
206	243	श्री देवराज/श्री रूपलाल धाकड़	एकलिंग पुरा बस स्टेशन के पास रावतभाटा	8278678092	डिपो एव परिवहन सेवा
207	244	श्री शाहरुख खान/श्री नसीर खां	वार्ड नं. 7 डेमरोड वर्क शोप के पीछे, रावतभाटा	7737329455	शव निपटान सेवा
208	245	श्री विशाल सिंह/श्री हरवेन्द्रसिंह	एम 17 आरपीएस कॉलोनी वार्ड नं. 9 रावतभाटा	9983653895	शव निपटान सेवा
209	246	श्री मुकेश/श्री बालू पुरी	भवानीपुरा, भैसरोड़गढ़	9828221112	शव निपटान सेवा
210	247	श्री आशीष कुमार/श्री त्रिलोक धाकड़	भवानीपुरा भैसरोड़गढ़	9649040782	शव निपटान सेवा
211	248	श्री समीर /श्री शरीफ हूसैन	आरपीएस कालोनी रावतभाटा	7023600944	शव निपटान सेवा

212	249	श्री गणेश योगी/श्री उदय नाथ	एस 11 हनुमान मंदिर चारण बस्ती रावतभाटा	9460089399	वार्डन सेवा
213	250	श्री अभिजीत/श्री सुनील कुमार चनाल	वार्ड नं. 23 मानव मंदिर के पीछे रावतभाटा	7300073344	वार्डन सेवा
214	251	श्री अरुण कुमार/श्री अशोक कुमार आदिवाल	टिएलएच 54 वार्ड नं. 7 आरपीएस कॉलोनी, रावतभाटा	8875613470	वार्डन सेवा
215	252	श्री किरण कुमारी /श्री भोजराज धाकड़	भवानीपुरा, रावतभाटा	9166596844	वार्डन सेवा
216	253	श्री सुरेश/श्री भवानीलाल मेघवाल	मेघवालों का मोहल्ला झर्झानी रावतभाटा	6367263587	वार्डन सेवा
217	254	सुरेशचन्द्र कलाल पिता गणेशलाल	बंजारा बस्ती थमलाव, रावतभाटा	7728920553	वार्डन सेवा
218	255	श्री सूरज/श्री मुकेश हेड़ा	आरपीएस कॉलोनी भाभानगर,रावतभाटा	9460653664	प्रशिक्षण सेवा
219	256	श्री लोकेश/श्री कन्हैयालाल लौहार	भील बस्ती मंडेसरा	9636070041	प्रशिक्षण सेवा
220	257	श्री किशन/श्री नंद किशोर कहार	वार्ड नं. 11 चारण बस्ती रावतभाटा	7615091933	प्रशिक्षण सेवा
221	258	श्री गणेश/श्री प्रभूलाल माली	रामद्वारा के पास भैसरोडगढ़	7340642755	प्रशिक्षण सेवा
222	259	श्री सुनील /श्री रामप्रसाद मीणा	एफ 9 आरपीएस कॉलोनी रावतभाटा	6367263587	प्रशिक्षण सेवा
223	260	श्री मंगल/श्री हेमराज कहार	वार्ड नं. 12 चारण बस्ती रावतभाटा	9462706155	अग्निशमन सेवा
224	261	श्री जयकिशन/श्री लाल चंद चेडवाल	छबिलदास चक्की के पास नीचे बाजार रावतभाटा	8107908827	अग्निशमन सेवा
225	262	श्री मोहनलाल /श्री लक्ष्मीचंद राठौर	आरपीएस कॉलोनी क्वार्टर एनटीजी 106,रावतभाटा	8003336161	अग्निशमन सेवा
226	263	श्री प्रवीण कुमार/श्री रामपाल	लोहाटी वार्ड नं. 10 रावतभाटा	9602260138	अग्निशमन सेवा

227	264	श्री राकेश कुमार/श्री राजेश कुमार	ईन्द्रारा कॉलोनी रावतभाटा	9772902510	अग्निशमन सेवा
228	265	मनीष कुमार/श्री दुर्गालाल धाकड़	गिलोता	9672751419	अग्निशमन सेवा
229	266	श्री दीपक /श्री दिनेश कहार	वार्ड नं. 11 चारण बस्ती रावतभाटा	9462546099	संचार सेवा
230	267	श्री मनीष /श्री अर्जुन कुम्हार	बबराणा	8107781451	संचार सेवा
231	268	श्री कोमल कुमारी/श्री रामसिंह यादव	जवाहर नगर आकोला वार्ड नं. 15 भोपालसागर	8094554176	संचार सेवा
232	269	श्री योगेश कुमार/श्री नानादास वैष्णव	सेजगरिया	9509111540	संचार सेवा
233	270	श्री दिनेश चन्द्र /श्री रोशनलाल जाट	सेजगरिया	6377660068	संचार सेवा
234	271	श्री पुष्करलाल बैरवा /श्री माधवलाल	हडमातिया	9001571802	हताहत सेवा
235	272	श्री विकास सिंह राजपूत /श्री नाराणसिंह राजपूज	पारी	6378814185	हताहत सेवा
236	273	श्री नरेन्द्र बैरवा/श्री हीरालाल बैरवा	हडमातिया	8209397138	हताहत सेवा
237	274	श्री नारायण लाल भोई/श्री छोटुलाल भोई	बस्सी	8824615929,8829012 540	हताहत सेवा
238	275	श्री विष्णु कुमार/श्री देवीलाल भोई	भोईखेड़ा चित्तौड़गढ़	9549384838	हताहत सेवा
239	276	श्री सावन सिंह/श्री रतन सिंह	किरखेड़ा	9783634398	हताहत सेवा
240	277	श्री सैयद मोहम्मद अली अब्बास हुसैन/श्री सैयद आबिद हुसैन	करनीमाता का खेडा	8955602055	संचार सेवा
241	278	श्री नारायण लाल/श्री डालु जाट	रोलाहेडा	8619528209	संचार सेवा
242	279	श्री सुनिल कुमार मारू/श्री गणेशलाल	गाधीनगर	8990272602,9887273 632	संचार सेवा
243	280	श्री जीवन जाट/श्री नारायण लाल जाट	बौदियाणा धनेत	8000915522	संचार सेवा
244	281	श्री गोवर्धन गुर्जर /श्री कन्हैयालाल गुर्जर	चित्तौड़गढ़	9462492157	संचार सेवा
245	282	श्री अभिषेक/श्री रतन सिंह राठौड़	किरखेड़ा	8107303514	संचार सेवा
246	283	श्री अरुण कुमार घारू/श्री गोविन्द कुमार	चन्देरिया	8209467854	बचाव सेवा
247	284	श्री राजेश/श्री नारायण लाल	मिश्रों की पिपली	8302584218	बचाव सेवा

248	285	श्री दीपक गायरी/श्री किशनलाल गायरी	खरडी बावडी	7568154600	बचाव सेवा
249	286	श्री शुभम तिवारी/दिपक कुमार	मधुवन	8905530764	बचाव सेवा
250	287	पायल पिता भैरूलाल माली	पावटाचौक, चित्तौड़गढ़	9664385951	बचाव सेवा
251	288	पप्पु लाल डांगी पिता नन्दलाल डांगी	गिलुंड	8955637385	बचाव सेवा
252	289	कृष्णपाल सिंह पिता प्रहलाद सिंह	नेगडिया कला बस्सी	9928075220	बचाव सेवा
253	290	दिनेश टेलर पिता गोपाल लाल	किला	9602064955	बचाव सेवा
254	291	प्रहलाद धाकड़ पिता मांगीलाल	मेघपुरा	9116466302,9660314 304	प्रशिक्षण सेवा
255	292	विरेन्द्रनाथ पिता प्रभुनाथ योगी	गाधीनगर	8209981161	प्रशिक्षण सेवा
256	293	सुरज पिता हीरालाल सालवी	नरपत कि खेड़ी	9636330826	प्रशिक्षण सेवा
257	294	दीपक कुमार पिता कालू लाल खटीक	गिलुंड	8955515784	प्रशिक्षण सेवा
258	295	भगवान लाल भोई पिता देवीलाल भोई	भोईखेड़ा	9636335524	प्रशिक्षण सेवा
259	296	सुरेशचन्द्र कलाल पिता गणेशलाल	घोसुंडा	9460710961	साल्वेज सेवा
260	297	तरुण कुमार पिता लादुलाल पालीवाल	आवलहेड़ा	8619000595	साल्वेज सेवा
261	298	पुष्पकान्त पिता राधेश्याम धाकड़	रावतका तालाब	9468660648	साल्वेज सेवा
262		शोएब अख्तर शाह पिता अब्दुल रहुफ शाह	बस्सी	9799975184	साल्वेज सेवा
263	299	शोएब अख्तर शाह पिता अब्दुलरहुफ शाह फकीर	नई मस्जिद के सामने व्यापारी मोहल्ला बस्सी चित्तौड़गढ़	9799975184	साल्वेज सेवा
264	300	निरंजन गुर्जर पिता कन्हैयालाल गुर्जर	चित्तौड़गढ़	8005657331	साल्वेज सेवा
265	301	गोपाल बारेठ पिता शिवलाल बारेठ	काठोडिया	7339945622	साल्वेज सेवा
266	302	गोविन्द मीणा पिता दिनेश मीणा	गणेशपुरा	7023904938	कल्याण सेवा
267	303	बादल सिंह पिता भंवर सिंह चौहान	शिवपुरा	7297971642	कल्याण सेवा

268	304	भरत कुमार पिता बंशीलाल धाकड़	पालका	9610632530	कल्याण सेवा
269	305	दीपक कुमार पिता कैलाशचन्द्र भार्मा	गणेशपुरा चित्तौड़गढ़	7568119754	कल्याण सेवा
270	306	प्रकाश जाट पिता नारायणलाल जाट	मिश्रों की पिपली	7568119754	कल्याण सेवा
271	307	पायल कुंवर चौहान पति सुरेन्द्र सिंह	सियालिया, बस्सी	7014936531	शव निपटान सेवा
272	308	राहुल कुमावत पिता सुबोध कुमार कुमावत	किला, चित्तौड़गढ़	7742703347	शव निपटान सेवा
273	309	रामचन्द्र भोई पिता मदनलाल भोई	भोईखेड़ा	6375057896	शव निपटान सेवा
274	310	रमेश चन्द्र पिता मांगीलाल जाट	रोलाहेडा	9664093320	शव निपटान सेवा
275	311	मुकेश भोई पिता नारायण लाल भोई	भोईखेड़ा	8740941575	शव निपटान सेवा
276	312	शान्तिलाल पिता लालूराम भोई	भोईखेड़ा	8949499492	साल्वेज सेवा
277	313	मुशताक अहमद मंसूरी पिता अलानूर मंसूरी	घोसुंडा	9929513902	साल्वेज सेवा
278	314	भरत सालवी पिता गोविन्द सालवी	ओडुन्द	6378329563	साल्वेज सेवा
279	315	बबलु पिता कैलाश चन्द्र भोई	भोईखेड़ा	9461718461	साल्वेज सेवा
280	316	मुकेश कुमार डांगी पिता नन्दलाल डांगी	गिलुंड	9057560132	पूर्ति सेवा
281	317	आशीष शर्मा पिता दुर्गाशंकर शर्मा	कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़	7737113662	पूर्ति सेवा
282	318	रोहित कुमार भोई पिता कन्हैयालाल	गिलुंड	6375880421	पूर्ति सेवा
283	319	भागीरथ भोई पिता पुष्कर भोई	गिलुंड	7339707164	पूर्ति सेवा
284	320	भैरूलाल भोई पिता देवीलाल भोई	भोईखेड़ा	9057956825	वार्डन सेवा
285	321	किशनलाल पिता भगवानलाल भोई	भोईखेड़ा	9358414646	वार्डन सेवा
286	322	खेमराज पिता भगवानलाल भोई	भोईखेड़ा	7726030501	वार्डन सेवा
287	323	रोहित भोई पिता रतनलाल भोई	भोईखेड़ा	9664227606	वार्डन सेवा
288	324	मुकेश कुमार जटिया पिता रामलाल जटिया	भोईखेड़ा	9929241485	वार्डन सेवा

289	325	राजमल भोई पिता देवीलाल	गिलुंड	9950767346	वार्डन सेवा
290	326	कन्हैयालाल पिता धन्नालाल भोई	नेगडिया खुर्द	6376689046	वार्डन सेवा
291	327	किशनलाल पिता बंशीलाल भोई	बस्सी	8769878446	संचार सेवा
292	328	घनश्याम भोई पिता रामलाल भोई	भोईखेड़ा	8290631811	संचार सेवा
293	329	तेजराम भोई पिता सोहनलाल भोई	भोईखेड़ा	8690965570	संचार सेवा
294	330	धर्मन्द्र भोई पिता कन्हैयालाल भोई	भोईखेड़ा	9983189118	संचार सेवा
295	331	रमेशचन्द्र भोई पिता सोहनलाल भोई	भोईखेड़ा	9602550947	संचार सेवा
296	332	रतनलाल भोई पिता भेरूलाल भोई	भोईखेड़ा	9166076336	संचार सेवा
297	333	हितेश पिता जयप्रकाश व्यास	चन्देरिया	9680869442	कल्याण सेवा
298	334	कैलाभाचन्द्र पिता रामलाल भोई	भोईखेड़ा	9351667468	कल्याण सेवा
299	335	पिन्दु कुमार भोई पिता भैरूलाल	भोईखेड़ा	8005744521	कल्याण सेवा
300	336	प्रकाश पाटनकर पिता सुर्यभान		9950248734	कल्याण सेवा
301	337	कन्हैयालाल पिता कालुराम गाडरी	चिकसी	8426875190	कल्याण सेवा
302	338	रतनलाल भोई पिता सत्यनारायण भोई	भोईखेड़ा	7339865651	कल्याण सेवा
303	339	राधेश्याम पिता नारायण लाल भोई	बस्सी	9680528425	कल्याण सेवा
304	340	मगनीराम भोई पिता रूपलाल भोई	बस्सी	9166596059	अग्निशमन सेवा
305	341	कन्हैयालाल पिता रतनलाल भोई	चामटी खेडा	7878284109	अग्निशमन सेवा
306	342	हीरालाल पिता डालचन्द्र भोई	भोईखेड़ा	9602705503	अग्निशमन सेवा
307	343	कालूराम पिता प्यारचंद भोई	भोईखेड़ा	9588802690	अग्निशमन सेवा
308	344	रामलाल पिता लाभचन्द्र भोई	बस्सी	9799538649	अग्निशमन सेवा
309	345	कैलाशलाल भोई पिता भगवानलाल भोई	भूचरतो की खेडी	8905427846	अग्निशमन सेवा

310	346	भैरूलाल पिता शांतिलाल भोई	भोईखेड़ा	8529377343	पूर्ति सेवा
311	347	बिजेश पिता शांतिलाल भोई	भोईखेड़ा	8003116162	पूर्ति सेवा
312	348	पुष्कर राज भोई पिता मांगीलाल भोई	गिलुंड	7976120283	पूर्ति सेवा
313	349	चैनराम पिता लाभचन्द भोई	खानिया बस्सी	6377673746	पूर्ति सेवा
314	350	राहुल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा	धनेतकला	8890549121	पूर्ति सेवा
315	351	दशरथ भोई पिता नारायणलाल	भोईखेड़ा	8503925708	बचाव सेवा
316	352	भावना शर्मा पिता कमलाशंकर शर्मा	धनेतकला	8890535844	बचाव सेवा
317	353	कन्हैयालाल पिता नारायणलाल जाट	मिश्रों की पिपली	7568130754	बचाव सेवा
318	354	नारायण गायरी पिता उदयलाल	देवरी	7878494547	बचाव सेवा
319	355	श्री करण/श्री सत्यनारायण भोई	भोईखेड़ा	8003840579	बचाव सेवा
320	356	श्री महेन्द्र कुमार/श्री सत्यनारायण भोई	भोईखेड़ा	9057233928	बचाव सेवा
321	357	श्री भूपेन्द्र सिंह/श्री सुरेन्द्र सिंह शक्तावत	बैजनाथिया	9636299217	बचाव सेवा

जिला प्रशासन-जिला चित्तौड़गढ़

नाम अधिकारी	पदनाम	पदस्थापन स्थान	दूरभाष नम्बर			
			कोड नं	कार्यालय	निवास	मोबाईल
डॉ. मंजू बाघमार राज्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग	OIC Minister  prof.manjubaghar@gmail.com	जयपुर	0141	2227563	88900-88600 99837-31111 75682-11111 94140-47758	Rajendr K Daga, SA Virendra Rohila,osd Raghvenrda Rathor,SO Vijai Sharma,PA
श्री वी.सरवण कुमार शासन सचिव एवं आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	OIC Secretary	जयपुर	0141	2227548	Balbir choudhary, Asstt.Programmer 98297-43778	94141-52444 secretary.dst@ rajasthan.gov.in
कुमारी प्रज्ञा केवलरमानी	Divi.Comm.	उदयपुर	0294	2420064 F-2420237	2420065 2420238	98292-80567 divcomm-udai- rj@nic.in
श्री छोगाराम देवासी	Adl.Divi.Com.	उदयपुर	0294	2424750 F-2526918	2490727	98288-44404
डॉ. मंजू	Collector & DM	चित्तौड़गढ़	01472 47001	240001 F-240293	240002	-
श्री	ADM (Adm.) Dy. DEO ele.	चित्तौड़गढ़	01472	240944 241636	241289	-
श्री रामचन्द्र खटीक	ADM (LA)	चित्तौड़गढ़	01472	241119	81077-56851	94148-33055
श्री	ADM	रावतभाटा	01475	299217		
श्री विनय पाठक	CEO, ZP	चित्तौड़गढ़	01472	241265	241072	96027-23366
श्री राकेश पुरोहित	ACEO, RD ZP	चित्तौड़गढ़	01472	240952		94608-07384
श्री	ACEO, PR ZP	चित्तौड़गढ़	01472	240952	240949 248108	-
श्री सुरेश कुमार खटीक	RAA	चित्तौड़गढ़	01472	243040		94607-26872
श्री कैलाश चन्द गुर्जर	Secy UIT	चित्तौड़गढ़	01472	251055		94685-86014
श्रीमती अंशुल आमेरिया	LAO UIT	चित्तौड़गढ़	01472	251055		94613-09359
श्री	AD PS	चित्तौड़गढ़				-
श्री हितेश जोशी	DSO	चित्तौड़गढ़	01472	240951	240650	95880-12817
श्री बंसत चौधरी	Manager, FCSC	चित्तौड़गढ़	01472	244822		94603-72435
श्री दिग्विजय सिंह झाला	TO	चित्तौड़गढ़	01472	241097	249557	87698-71122
श्रीमती हंसा राजपुरोहित	Adll.TO	चित्तौड़गढ़	01472			94144-97780
श्री	Adll.TO	चित्तौड़गढ़	01472	248850		
श्री राघव शर्मा	Sr.AO Coll.	चित्तौड़गढ़	01472	247997		87641-61333
श्री अरविन्द जोशी	AD GPF &SI	चित्तौड़गढ़	01472	241001		94618-47528
श्री अनिल जैन	SE Watershed	चित्तौड़गढ़	01472	294376		98871-51488
सुश्री विनीता सोलंकी	DD P	चित्तौड़गढ़	01472	243200	63766-08155	94147-80557
श्री अशोक लोढा	DIO NIC	चित्तौड़गढ़	01472	241706 247739	241727	99289-36368
श्री इन्द्र. प्रकाश झा श्री प्रवीण जैन	JD DOIT DD DOIT	चित्तौड़गढ़	01472	240158		94146-43976 94147-35053
श्री	PM SCDC	चित्तौड़गढ़	01472	241704		
श्री विक्रम पोसवाल श्रीमती कृष्णा उपाध्याय	CPO	चित्तौड़गढ़	01472	241379		95498-03607 94625-85886
श्रीमती शबनम खोरवाल	DD Statistics	चित्तौड़गढ़	01472	241212		99504-16855
श्री जतिन कुमार गांधी	Asstt.Comm. Devsthan	उदयपुर	0294	2420546		94136-64373
उपखण्ड अधिकारी						
श्रीमती बीनू देवल	SDM	चित्तौड़गढ़	01472	241111	240905	80035-66844
श्री विकास पंचोली	SDM	निम्बाहेड़ा	01477	220002	220026	98879-23285
श्रीमती रजनी मीणा	SDM	भदोसर	01470	243760	243761	96802-61112
श्री प्रवीण कुमार मीणा	SDM	बड़ीसादड़ी	01473	264339	264399	90011-38248
श्री ईश्वर लाल खटीक	SDM	डूंगला	01470	247631	247632	96499-11225
श्री राजेश सुवालका	SDM	कपासन	01476	230244	230222	75030-63728
सुश्री अंजु शर्मा	SDM	राशमी	01471	226700	226701	94133-40281
श्री महेश गागोरिया	SDM	भूपालसागर	01476	224111		87644-22244
श्री पुनीत कुमार गेलरा	SDM	गंगरार	01471	220789	220112	99826-09860

श्री अंकित सामरिया	SDM	बेगूं	01474	230150	230103	94624-04038
डॉ. कृति व्यास	SDM	रावतभाटा	01475	294181	230532	94609-00005
श्री मणिलाल तीरगर	ACEM	कपासन				88243-64669
<b>तहसीलदारगण</b>						
श्री विपिन चौधरी TDR श्री राहुल धाकड़, NT	TDR	चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़	01472	241387		84473-18804 80786-28697
श्री मुकेश कुमार गुर्जर TDR श्री गजराज मीणा NT	TDR	बस्सी				77376-45690 94148-89838
श्री मोहम्मद नासिर बेग मिर्जा श्री कमलेशकुमार कुलदीप NT	TDR	कपासन	01476	230223		94146-85486 97840-69400
श्री बेणी प्रसाद सरसरा श्री	TDR	राशमी	01471	226327		97999-12868
श्री पुष्पेन्द्र सिंह राजावत श्री राम प्रसाद खटीक NT	TDR	गंगरार साडास	01471	294229		88902-60040 97728-05908
श्री पंकज कुमार श्री श्री मदन लाल सालवी NT	TDR NT NT	बड़ीसादड़ी बड़ीसादड़ी निकुम्भ	01473	264240	99836- 49763	99836-49763 00 96361-13220
श्री गुणवन्त लाल माली NT श्री भूपेन्द्र वसी NT	TDR NT NT	डूंगला डूंगला मंगलवाड	01470	247222	95303- 11659	94146-18804 00 99509-94438
श्री घनश्याम जरवार श्री संतोष कुमार भालोट NT श्री दिव्येशकांत परमार NT श्री नंद लाल सुथार NT	TDR NT NT SDM NT	निम्बाहेड़ा निम्बाहेड़ा निम्बाहेड़ा कनेरा	01477	221543	00	80585-98090 98299-94695 94130-48294 77428-05233
श्री शिव सिंह शेखावत श्री NT श्री शिवशंकर पारीक NT	TDR NT NT	भदेसर भदेसर भादसोडा	01470	243222	00 00	94142-87503 00 81071-18222
श्री गोपाल जीनगर श्री विष्णु यादव NT श्री विष्णु यादव NT	TDR ERO (SDM)	बेगूं बेगूं पारसोली	01474	230135	00	97859-65112 82097-78298 82097-78298
श्री विवेक गरासिया श्री NT श्री नाना लाल धाकड़ NT	TDR	रावतभाटा रावतभाटा जावदा	01475	234035	94626-92539 234033 80008-15971	95405-52788 00 99839-25519
श्री अपूर्व गौतम श्री ललित कुमार यादव, NT	TDR	भूपालसागर	01476	224130	00	98873-44923 87695-59838
श्रीमती सुनीता सांखला	SR	चित्तौड़गढ़	01472	240700		95291-42116 70141-93164
श्री राधेश्याम राठौर श्री	Election TDR LR	चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़	01472 01472	240945		94600-05846
<b>विकास अधिकारी, पंचायत समिति</b>						
श्री समुन्द्रसिंह	BDO	चित्तौड़गढ़	01472	241028	245114	82096-06799
श्री लक्ष्मण लाल खटीक श्री अनिल जैन, एईएन	BDO	निम्बाहेड़ा	01477	220021 221140	221205	99504-99677 98871-51488
श्री अभिषेक शर्मा श्री अनिल कुमार टेलर	BDO	भदेसर	01470	243223	243900	96808-99977 98750-39323
श्री लक्ष्मण लाल मीणा	BDO	बड़ीसादड़ी	01473	264231	264472	95713-11373
श्री दुर्गा प्रसाद कुमावत	BDO	डूंगला	01470	247225	247704	98287-70860
श्री मुकेश पोरवल, अ.का.	BDO	कपासन	01476	230225	230887	94142-57652
श्री ओमप्रकाश विजयवर्गीय, अ.का.	BDO	राशमी	01471	226421	226329	98287-62324

श्री मुकेश पोरवल, अ.का.	BDO	भूपालसागर	01476	224229	224429	94142-57652
श्री देवी लाल बलाई	BDO	गंगरार	01471	220246	220851	70737-10543
श्री सुरेश पुरी गोस्वामी	BDO	बेगूं	01474	230104	231032	98282-73047
श्री ग्यारसीलाल मीणा श्री सत्येन्द्र सिसोदिया	BDO	भैंसरोड़गढ़	01475	232247	232002	63500-09781 76656-94242
<b>पुलिस अधिकारीगण</b>						
श्री गौरव श्रीवास्तव	IG	उदयपुर	0294	2410816 5102782	2433333 F-2411246	97993-93499
श्री मनीष त्रिपाठी	SP	चित्तौड़गढ़	01472	240006 295797	240003 297017	98290-23831
श्री मुकुल शर्मा	Add.SP	चित्तौड़गढ़	01472	242603	294701	88024-14929
श्री भगवत सिंह	Add.SP	रावतभाटा	01475	235703	235700	98292-50751
श्री अशोक कुमार मीणा	Addl.SP SIUCAW महिला अपराध अनुसंधान सेल	चित्तौड़गढ़	01472			
श्री गोपाल स्वरूप मेवाडा	ASP, ACB	चित्तौड़गढ़	01472	241164		
श्री शिव प्रकाश	Dy.SP, Traffic	चित्तौड़गढ़	01472			94144-71345
श्री	DY.SP, SCST	चित्तौड़गढ़	01472	244885		
श्री गिर्राज गर्ग	Dy.SP Cyber	चित्तौड़गढ़				94142-90881
श्री बृजेश सिंह	Dy.SP	चित्तौड़गढ़	01472	241057	244877	99684-44047
श्री दिनेश सुखवाल	Dy.SP Rural	चित्तौड़गढ़	01472	294200		94143-29303
श्री	Dy.SP	गंगरार	01471	220157	256157	
श्री हरजीलाल यादव	Dy.SP	कपासन	01476	230260	230860	78914-71158
सुश्री अंजली सिंह	Dy.SP	बेगूं	01474	294100	230129	7976706956
श्री शंकर लाल	Dy.SP	रावतभाटा	01475	235701		81144-70989
श्री बद्री लाल	Dy.SP	निम्बाहेड़ा	01477	221593	221539	98291-32897
श्री देशराज कुलदीप	Dy.SP	बड़ीसादड़ी	01473	264040		99292-58585
श्री विनोद लखेरा	Dy.SP	भदेसर	01470	248227		94143-24256
श्री रवि सिंह	DySP Home Gaurd	चित्तौड़गढ़	01472	245227		96725-96765
श्री अशोक पारीक श्री योगेश तेजी	Dy. Jailar Jailar	चित्तौड़गढ़	01472	240052	00 94145-69183	94608-02521 95211-46183
श्री अनिल पण्डेय, पु.नि.	संचित निरीक्षक	चित्तौड़गढ़	01472	295005		98297-59411
श्री गजेन्द्र सिंह, पु.नि.	अपराध सहायक					93025-88888
श्री गोवर्धन सिंह, पु.नि.	प्रभारी, डीएसटी	चित्तौड़गढ़				77424-55505
	Control Room	चित्तौड़गढ़	01472	240088	100, 249090	95304-42700
<b>जिला स्तरीय अधिकारीगण</b>						
श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया	DJ	चित्तौड़गढ़	01472	294081	244022	80033-95839
श्री पवन दीप डोगरा	DGM BSNL	चित्तौड़गढ़	01472	244122	244133	94180-79279
श्री एस.आर. मीना	AGM-M BSNL					94133-94325
श्री आसिफ ईकबाल पीए	BSNL					94600-57910
श्री तुलसी राम कण्डारा श्री	<b>PRO APRO</b>	चित्तौड़गढ़	<b>01472</b>	<b>240900 294144</b>		<b>96369-19730</b>
श्री कृष्ण गोपाल श्री जितेन्द्र मीणा	<b>Comm. N.P.</b>	चित्तौड़गढ़	<b>01472</b>	<b>245104 240463</b>	<b>240363</b>	<b>82090-00814 94601-33581</b>
श्री जितेन्द्र मीणा	EE NP	चित्तौड़गढ़	01472	245104		94601-33581
श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई	AEN NP	चित्तौड़गढ़	01472	245104		94134-34758
श्री किशोर कुमार खटुमरा	EO NP	निम्बाहेड़ा	01477	220042 220435	77427-37460 220642	97845-93405
श्री मुकेश मौहिल	EO NP	बड़ीसादड़ी	01473	264252	94146-18848	63503-24928
श्री ललित सिंह देथा	EO NP	कपासन	01476	230257		94610-13820
श्री कृष्ण गोपाल	EO NP	आकोला	01476			82090-00814
श्री विष्णु यादव	EO NP	बेगूं	01474	230110		97998-64604

श्री मुकेश नागर	EO NP	रावतभाटा	01475	233363 230255	97825-15885	96493-74757
श्री सत्यनारायण वर्मा श्री मनीष अरोड़ा	EE RUIDP-iv SE RUIDP-iv	निम्बाहेडा राजसमन्द	01478	299004	eeruidpnimbahera 01@gmail.com	90243-61801 80033-77650
श्री भूपेन्द्र बंशीवाल श्री ललित कुमार	EE, UIT JEN UIT	चित्तौड़गढ़	01472	251055		80786-88497 99294-60279
श्री अरविन्द सिंह कानावत	STP	उदयपुर	0294	2418225		82095-67220
श्रीमती अपूर्वा पारासर	DTP	उदयपुर	0294	2418225		
श्री वीरेन्द्र सिंह	DTP	उदयपुर	0294	2418225		94131-66696
श्री	DTP UIT	चित्तौड़गढ़	01472			
<b>श्री नेमी चन्द पारीक</b>	<b>RTO</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>241292</b>	<b>240661</b>	<b>99297-34569</b>
श्री	ARTO	चित्तौड़गढ़	01472	244555	248771	
श्री नीरज शाह	DTO	चित्तौड़गढ़	01472	248598		75975-87575
श्री राकेश सारस्वत श्री	CM Roadways Man.(Transport)	चित्तौड़गढ़	01472	297099 241177	63502-51085	95496-53319 95496-53320
<b>डॉ. तारा चन्द गुप्ता</b>	<b>CM&amp;HO</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>245813,</b> <b>247136</b>		<b>80034-11264</b> <b>90019-90600</b>
डॉ. घनश्याम चावला	ACM&HO (FW)	चित्तौड़गढ़	01472	241114		98295-08745
<b>डॉ. पुनित कुमार तिवाड़ी</b>	<b>DyCM&amp;HO</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>240948</b>		<b>77376-50605</b>
<b>डॉ. हितेन्द्र सिंह</b>	<b>BCMO</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>249029</b>	<b>241104</b>	<b>96105-87788</b>
डॉ. शिवानी	RCHO	चित्तौड़गढ़	01472	247286		<b>82907-60728</b>
डॉ. मुनेश बैरवा	DPC चिरंजीवी	चित्तौड़गढ़	01472			<b>79760-14584</b>
<b>डॉ. प्रमोद तिवारी</b>	<b>PP Med.College</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>				<b>98290-86988</b>
<b>डॉ. दिनेश वैष्णव</b>	<b>PMO</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>240744</b>	<b>241761</b>	<b>94147-34977</b>
डॉ. जयसिंह मीणा	Incharge, W&C	चित्तौड़गढ़	01472	240744		94130-26250
<b>डॉ. राघव सिंह</b> <b>डॉ. अनुराधा मीणा</b>	<b>PMO</b> <b>BCMP</b>	<b>निम्बाहेडा</b>	<b>01477</b>	<b>223137</b>		<b>80946-42991</b> <b>96808-41174</b>
श्री चन्द्र प्रकाश संचेती श्री जगदीश शर्मा	EE NHM AEN NHM	चित्तौड़गढ़	01472			94146-17353 94142-63357
डॉ. तरुण कुमार प्रमाणिक डॉ. लवकुश पारासर	उप निदेशक, आयुर्वेद सहा.निदेशक, आयुर्वेद	चित्तौड़गढ़	01472	240657	83288-32319	94602-25820
<b>श्री राहुल सिंह</b> <b>श्री मोहित सिंह शेखावत</b> <b>श्री हरिश चौधरी</b>	<b>GM, DIC</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>256073</b>		<b>99820-13376</b> <b>98376-22446</b> <b>96360-62906</b>
श्री पी.आर. मीणा श्री संदीप पंवार	Sr.RIICO RM RIICO	भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़	01482 01472	260083 256183		94140-49472 82900-95596
श्री एन.एल. बाहेती nlbayeti@rfc.rajasthan.gov.in	Manager RFC	भीलवाड़ा	01482	220712		94140-97663
श्री नीरज शर्मा	CTO	चित्तौड़गढ़	01472	240995		94605-01918
<b>श्री विजय कुमार</b> <b>सुश्री रुचि भुक्ल</b>	<b>DD, ICDS</b> <b>CDPO</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>256674</b>	<b>00</b> <b>88240-15010</b>	<b>91662-26307</b> <b>73407-29441</b>
<b>श्री राकेश कुमार तंवर</b>	<b>उप निदेशक</b> <b>महिला अधिकारिता</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>256674</b>		<b>98879-14009</b>
<b>श्री जितेन्द्र गढ़वाल</b> <b>श्री विकास खटीक</b>	<b>DD, SJE</b> <b>PO SJE</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>241083</b>	89498-11033 74258-08892	94686-88011 96644-85407
<b>श्री ओम प्रकाश तोषनीवाल</b> <b>श्री चन्द्र प्रकाश जीनगर</b>	सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई अधीक्षक, राज.संप्रक्षण एवं किशोर गृह	चित्तौड़गढ़	01472	244083		<b>94140-21710</b> 94147-15842
श्री ऋषभ बागडी	D.Mi.O	चित्तौड़गढ़	01472	294667		81071-19311
श्री <b>मोहित सिंह शेखावत</b> , अति.	D.Employ.O.	चित्तौड़गढ़	01472	241053		
श्री सीएम राज माथुर	ACE PWD	उदयपुर	0294	2420547		94140-54009
श्री बालेन्द्रप्रताप सिंह श्री पवन सेठिया	SE, PWD TA to SE, PWD	चित्तौड़गढ़	01472	248500		94140-55775 94603-62072
<b>श्री नवीन अग्रवाल</b>	<b>Ex.En., PWD</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>241215</b>		<b>94601-15476</b>
श्री <b>करण खटीक EE</b> श्री वीरेन्द्र नायक Aen.,	Ex.En., PWD	बेगू बेगू रावतभाटा	01474	231010		77429-66555 94146-17405
<b>श्री पवन सेठिया</b>	<b>Ex.En., PWD</b>	<b>निम्बाहेडा</b>	<b>01477</b>	<b>221899</b>		<b>94147-65161</b>

श्री दिगम्बर सिंह श्री						<b>94138-67396</b>
श्री	Ex.En. PWD (QC)	चित्तौड़गढ़	01472			
श्री मुकेश रणवा श्री मुकेश बलाई	EE., PWD(NH)	बांसवाड़ा	02962		eepwdnhbanswara@gmail.com	94607-93565
श्री	AEN., PWD(NH)	बांसवाड़ा	02962			
श्री प्रशान्त मीणा	EE PWD (ele)	बांसवाड़ा			eelectbanswara@gmail.com;	96499-56873
श्री प्रशान्त मीणा श्री सुनील कटारा	AEN PWD (ele) JEN PWD (ele)	प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़				96499-56873 97723-33645
<b>श्री अनिल चौधरी</b>	<b>PD NHAI</b>	<b>उदयपुर</b>	<b>0294</b>	<b>2980801</b> <b>2980802</b>		<b>81300-06147</b>
श्री नवनीत कुमार	Manager, NHAI-	उदयपुर	0294	2412566	<b>COR-UDR 48</b>	73406-85122
<b>श्री विजय कुमार</b>	Manager, NHAI-	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b> <b>01482</b>	<b>246474</b> <b>230611</b>	<b>Cor-Bhil-48</b> <b>COR – Kota-27</b>	<b>98706-78144</b>
<b>श्री उदय भान सिंह (टोल/रोड)</b>	PM, NH 27	<b>चित्तौड़गढ़</b>				<b>70156-13030</b>
श्री एस.के. कोशिक	Mana. NHAI-48	चित्तौड़गढ़	01472	246474	Cor-Bhil	96020-38596
श्री लाल चन्द वर्मा <a href="mailto:pdsrcudaiapur@gmail.com">pdsrcudaiapur@gmail.com</a> श्री शशांक शर्मा श्री सुनील मीणा	PD, RSRDC (SH-9) PD, RSRDC AEN, RSRDC	उदयपुर चित्तौड़गढ़	0294	2412371	CMR Mathur DGM JPR 94140-54009	95492-35818 70737-36432 94602-36432 81046-85859
श्री एम.के. जैन श्री	E.En. Housing Bo. AEn. Housing Bo	चित्तौड़गढ़	01472	241163	240639	76654-30304
श्री अरविन्द माथुर <a href="mailto:rmudpr@gmail.com">rmudpr@gmail.com</a>	RM, RUIDICO	उदयपुर			98282-33362	94143-43362
<b>श्री सुनित गुप्ता</b>	<b>SE, PHED</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>240918</b>	<b>241170</b>	<b>94140-55129</b>
श्री प्रेम राज	EE TA-SE PHED	चित्तौड़गढ़	01472	240918		91661-48439
श्रीमती ऋतु कुमारी कुमावत	Aen TA-SE PHED	चित्तौड़गढ़	01472	240918		97845-23781
श्री अशोक कुमार मीना	Ex.En. PHED	चित्तौड़गढ़	01472	241135	245940	98294-87961
श्री राजेश आगडी	Ex.En. PHED	निम्बाहेड़ा	01477	220070		95212-28640
श्री प्रमोद कुमार	Ex.En. PHED	बेगू	01474	230026		94144-44564
श्री विनोद नायक	Ex.En. PHED (project divi)	बेगू	01474	230026	82791-01250	97837-66888
श्री एस.आर. सिंह	EE PHED (Mon.)	चित्तौड़गढ़	01472	240918		
श्री महावीर प्रसाद मीणा	EE PHED (Chambal-Bhil)	रावतभाटा				94143-28677
श्री ओम प्रकाश अजमेरा	EE PHED (Project divi)	चित्तौड़गढ़				77270-10717
श्री श्री शुभेन्द्रपाल सिंह	वरि. भूजल वैज्ञानिक क. भूजल वैज्ञानिक	चित्तौड़गढ़	01472	294575		00 94142-86009
श्रीमती निकिता शर्मा	AEN(Driling) GW	चित्तौड़गढ़	01472			70145-98938
श्री सोजी सिंह प्रतिहार	SE Irr.	भीलवाड़ा	01482	226540		94145-14593
श्री राधेश्याम जाट	EE Irr.	चित्तौड़गढ़	01472	241069		97843-59993
श्री राजकुमार शर्मा	EE Irr.(QC)	चित्तौड़गढ़	01472	241069	241094	94141-66398
श्री दीपक जैन	EE Irr.	प्रतापगढ़	01478	220073		86197-00038
श्री	Aen Irr.	डूंगला				
श्री नीरज अग्रवाल श्रीमती अंशुल राठौड़	EE RPS	रावतभाटा	01475	233068		94141-88412 95093-94702
<b>श्री राम सिंह यादव</b>	<b>SE, AVVNL</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>255188</b>	255606	<b>94140-04084</b>
श्री भरत नामा	TA to SE AVVNL	चित्तौड़गढ़	01472	255611		94133-91919
श्री ऋषभ भार्गव	EE AVVNL	चित्तौड़गढ़	01472	255305	256355	94133-91915
श्री प्रेम चन्द बैरवा	EE AVVNL	निम्बाहेड़ा	01477	220583		94133-91916
श्री बी.एल. मेघवाल	EE AVVNL	कपासन	01476	230432		94133-91917
श्री खुश प्रताप सिंह	EE AVVNL	बेगू	01474			94133-28409
श्री ओम प्रकाश श्री हेमन्त टोटावत	SE, RVPN EE, RVPN	चन्देरिया	01472		se.tnc.Chittor@rvpn.co.in	94133-93977 97726-37678
श्री आशीष जैन	EE पन बिजली घर राज.रा.वि.उत्पा.नि.	रावतभाटा	01475	233235 236272		94133-49870
श्री राहुल झाझड़िया	DFO ACF	चित्तौड़गढ़	01472	241049	241984	94686-15807

श्री						00
श्रीमती मृदुला सिंह	DFO (WL)	चित्तौड़गढ़	01472	244915	244916	81750-53050
श्री	ACF					
श्री मूथू सर	DCF	कोटा	0744			95663-99871
	(Mukundra Hills)					
श्री अनुराग भटनागर	DCF (WL)	कोटा	0744			94133-52070
	ACF	रावतभाटा				
डॉ. चम्पालाल मीणा	<b>Jt.D. Animal Hus.</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>240125</b>		94149-58333
डॉ. जयदीप भार्गव						75979-01267
डॉ. मंगेश जोशी	DD. Animal Hus.	चित्तौड़गढ़	01472	240908	88907-76606	98295-01177
डॉ.					Dr. Sumersingh	
श्री अनिल कुमार जोशी	मत्स्य विकास अधि.	चित्तौड़गढ़	01472	294895	fdochittorgarh@g	99284-36700
श्री मनीष गोस्वामी	क.लिपिक				mail.com	82904-35765
श्री रमेश चन्द्र आमेटा	JD Agr.	चित्तौड़गढ़	01472	240982		94144-70745
डॉ. शंकर लाल जाट	DD Hort.	चित्तौड़गढ़	01472	241491		94149-32974
डॉ. प्रकाश चन्द्र खटीक	AO					88903-37753
डॉ. राजेन्द्र कुमार सामोता	PD ATMA	चित्तौड़गढ़	01472	240133		94145-92962
श्री राकेश व्यास	DD Ag.(ATC)	चित्तौड़गढ़	01472	241319		94142-88882
डॉ. रतन लाल खटीक	PC, KVK	चित्तौड़गढ़	01472	241248		80786-02130
श्री रामेश्वर लाल जाट	संयंत्र प्रबंधक, राज.	चित्तौड़गढ़	01472	241012		98293-73111
	रा.बीज निगम					
श्री	क्षेत्रीय प्रबंधक,	चित्तौड़गढ़	01472	235035		
श्री नारायण लाल जाट	राष्ट्रीय रा.बीज नि.					98875-21221
<b>श्री संतोष कुमार मोदी</b>	<b>Secy. KUM</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>241270</b>		<b>94135-24844</b>
<b>श्री संतोष कुमार मोदी</b>	<b>Secy. KUM</b>	<b>निम्बाहेडा</b>				<b>94135-24844</b>
श्री हेमेश नाथ व्यास	PP, PG College	चित्तौड़गढ़	01472	241041	241241	94147-40195
श्री दीपक पंचोली						
श्री जी.के. कुकड़ा	PP, Girls College	चित्तौड़गढ़	01472	251301	240673	94147-35009
श्रीमती मनीषा बटवाल	PP Girls College	बस्सी				94142-02333
श्री हेमेश नाथ व्यास	PP GC	घोसुण्डा				94147-40195
श्री आशुतोष व्यास	PP GC	निम्बाहेडा	01477	221559		94147-34724
श्री कौशल कुमार जैन	PP GC	कपासन	01476	230241		94602-81902
डॉ.	PP GC	मण्डफिया	01470	242700		94600-57949
श्रीमती रजनी मीणा	PP GC	रावतभाटा	01475			87643-37444
श्री रमेश मीणा	PP GC	बेगूं	01474	230062		96675-86813
श्री अशीष सेहरा	PP GC	बड़ीसादड़ी				75039-50506
श्री हेमेश नाथ व्यास	PP GC	गंगरार				94147-40195
श्री भूपेन्द्र दहिया	PP Pol. College	चित्तौड़गढ़	01472	240992		96029-80396
श्री रवि शर्मा	ग्रुप अनुदेशक,	चित्तौड़गढ़	01472	251076		86968-66555
श्री अशोक जी	आईटीआई					94609-09511
श्री प्रमोद कुमार दशोरा	<b>CDEO</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>247059</b>		<b>98872-10841</b>
श्री	AD, CDEO	चित्तौड़गढ़	01472	247059		
श्री प्रमोद कुमार दशोरा	ADPC SAMSA	चित्तौड़गढ़	01472	247059		
श्री शम्भूलाल सोमानी	Asst. PC SAMSA	चित्तौड़गढ़	01472	247059		94147-34337
श्रीमती लीला चतुर्वेदी	Asst. PC SSA	चित्तौड़गढ़	01472	247059		98290-29763
<b>श्री</b>	<b>DEO (S)</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>241059,</b>		
				<b>245059</b>		
श्रीमती प्रियदर्शनी शर्मा	ADEO (S)	चित्तौड़गढ़	01472	241059,		99828-12033
				245059		
<b>श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अ.का.</b>	<b>DEO (E)</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>240649,</b>	<b>244949</b>	<b>94139-78500</b>
श्री ओम प्रकाश मेनारिया	ADEO (E)	चित्तौड़गढ़	01472	240649		99293-14615
श्री	TLC	चित्तौड़गढ़	01472	242775		
<b>श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अ.का.</b>	PP, DIET	चित्तौड़गढ़	01472	241013		<b>94139-78500</b>
कर्नल ए.डी.एस. जसरोटिया	PP SS	चित्तौड़गढ़	01472	295322		<b>94069-44542</b>
श्री राम रतन गुर्जर	जि.खेल अधि.	चित्तौड़गढ़	01472	246416	79760-17914	96361-53053
श्री योगेश चारण, अति.	जिला युवा अधिकारी	चित्तौड़गढ़	01472	294452		76784-59239
श्री कुलदीप प्रजापत, लेखाकार	नेयुके					
श्री राजकुमार शर्मा	MD Dairy	चित्तौड़गढ़	01472	249444	248333	96671-13758
	Asstt. Mana.					

श्री अशोक कुमार जोशी, श्री अरविन्द गर्ग,	Dy Mana. Mktg					94612-06360 98290-47191
<b>श्री गजेन राजपुरोहित</b> श्री	D.Ex.O.	चित्तौड़गढ़	01472	294875	95303-96052	<b>74270-08335</b>
श्री सूरज प्रकाश जांगिड़ श्री हिम्मत सिंह भाटी, स.प्र.अ.	S.I., F&B	चित्तौड़गढ़	01472	241213		99508-36121 94132-44714
<b>श्री सुनील कुमार यादव</b> <b>श्री मुकेश कुमार बुनकर</b>	<b>Dy.L.C., Labour Lab.Ins</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>240307</b>	<b>70233-13276</b>	<b>95490-75880</b> <b>76782-39932</b>
श्री एहतेशाम सिद्दीकी	<b>ME</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>251870</b>		<b>72318-93898</b>
श्री	AME	चित्तौड़गढ़	01472	251870	250056	
श्री रंजीत मीण	AME	निम्बाहेड़ा	01477	220259		94619-55507
श्री रवि मीणा श्री मनोज सालवी	Sr.Geologist M&G Geologist M&G	चित्तौड़गढ़	01472	251870		<b>96368-03274</b> 89557- 77335
<b>श्री आशिष कुमार</b> श्री	<b>RO Pul. CB</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>294158</b>		70738-75444 98285-73672
श्री परेश काराभाई टांक श्री सचिन सक्सेना	LDM ALDM	चित्तौड़गढ़	01472	241158	90045-12296	88750-06626 89050-41449
श्री महेन्द्र डूडी	DGM Nabard	चित्तौड़गढ़	01472	246801	78780-41527	95870-83385
<b>श्री संजय शर्मा</b> <b>श्री अरुणसिंह शेखावत</b>	<b>DR Coop AR Coop</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>294272</b>		<b>97823-34111</b> <b>81309-95741</b>
श्री नाना लाल चांवला श्री यतीन्द्र जैन	MD CKSB CM CKSB	चित्तौड़गढ़	01472	241401 246031		94143-95985 70145-00385
श्री	GM ICDP	चित्तौड़गढ़	01472	245125		
<b>श्री सुनील कुमार व्यास</b>	Secy PLDB	चित्तौड़गढ़	01472	241196	244143	<b>97990-65789</b>
<b>श्री गुलाब चन्द बुनकर</b> <b>श्री सी.पी. शर्मा, से.नि.</b>	<b>Mana., Circut H.</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>240977</b> <b>250245</b>	<b>241187</b>	<b>94688-69251</b> <b>98298-27383</b>
श्री रवि चतुर्वेदी	Manager, RTDC	चित्तौड़गढ़	01472	241238	248516	94137-77900
श्री विवेक जोशी	AD Tourist	चित्तौड़गढ़	01472	241089		94141-56081
डॉ. इजहार आलम हाशमी श्री गोविन्द मीणा	अधीक्षक पुरातत्वविद् भा.पुरा.सर्वे.	जोधपुर	0291	2750029 2750030	circlejdh.asi@ gmail.com	90399-28656 94614-48103
श्री प्रेम शर्मा	संरक्षक सहा.भा.पु.वि.	दुर्ग चित्तौड़	01742	245937	-	94616-38200
श्री हिमांशु सिंह	संग्रहाध्यक्ष, राज.संग्रहालय	दुर्गचित्तौड़	01742	244192		076108-16987 98299-16334
डॉ. रमेश चन्द्र धाकड, अति.चार्य श्री	DPM RAGVKA DM RAGVKA	चित्तौड़गढ़	01472	246344		96100-36394 00
श्री हरिशंकर शर्मा	DSC, RSLDC	चित्तौड़गढ़	01472			94148-23973
श्री	DPM SBM	चित्तौड़गढ़	01472	244466		
<b>श्री विवेक व्यास</b> oscolcor@gmail.com	कार्यालय अधीक्षक बाढ़ कन्ट्रोल रुम,	<b>चित्तौड़गढ़</b>	<b>01472</b>	<b>P/Fax- 247997 240945</b>	<b>Toll Free No. 1077</b>	<b>98283-03235</b>
	<b>जिला नियंत्रण कक्ष</b>			<b>244923</b>		

